

प्रसार भारती PRASAR BHARATI

Broadcasting Corporation of India

वार्षिक लेखा
2002-03
Annual Accounts
2002-03



PRASAR
BHARATI



द्वितीय तल, पी टी आई भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001
2nd floor, PTI Building, Parliament Street, New Delhi 110001

प्रसार भारती
पी0टी0आई0 भवन, दूसरा तल,
संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001

**PRASAR BHARATI
(BROADCASTING CORPORATION OF INDIA)
P.T.I. BUILDING , 2nd FLOOR,
SANSAD MARG,
NEW DELHI-110001**

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

AUDIT REPORT

2002-03

प्रसार भारती
पी0टी0आई0 भवन, दूसरा तल,
संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001

**PRASAR BHARATI
(BROADCASTING CORPORATION OF INDIA)
P.T.I. BUILDING , 2nd FLOOR,
SANSAD MARG,
NEW DELHI-110001**

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं अंतिम लेखा

AUDIT REPORT & FINAL ACCOUNTS

2002-03

लेखा परीक्षा की गई

कार्यालय महानिदेशक लेखा परीक्षा
केंद्रीय राजस्व,
इंद्र प्रस्थ इस्टेट
नई दिल्ली-110002

ACCOUNTS AUDITED BY

DIRECTOR GENERAL OF AUDIT
CENTRAL REVENUE
INDRAPRASTHA ESTATE
NEW DELHI-110002



सत्यमेव जयते

कार्यालय महानिदेशक लेखा परीक्षा, केन्द्रीय राजस्व
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT, CENTRAL REVENUES

इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली-110 002
INDRAPRASHTA ESTATE, NEW DELHI-110 002

क्रमांक / No.

दिनांक / DATED

ए.एम.जी. II/एस.ए.आर./पी.बी./2005-06/

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,
ए विंग, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली।

विषय: वर्ष 2002-2003 के लिये प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) नई दिल्ली के लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

मैं प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के प्रमाणित वार्षिक लेखाओं की प्रति उसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र की हिन्दी प्रति सहित संसद के पटल पर रखने के लिए संलग्न करती हूँ।

संसद को प्रस्तुत दस्तावेजों की दो प्रतियाँ, उस तिथि को दर्शाते हुए जब ये संसद को प्रस्तुत किए गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए।

कृपया पावती भेजें।

भवदीया,

इ.स.ता /

निदेशक (ए.एम.जी. II)

संलग्नक: यथोपरि


F-3 OCT 2005

दिनांक: 3-10-05

✓ ए.एम.जी. II/एस.ए.आर./पी.बी./2005-06/1437

प्रति, प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति उसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र सहित श्रीमती कृष्णा त्यागी, महाप्रबंधक (बजट एवं लेखे) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम), पी.टी.आई. बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है। वह तिथि जिसको शासी निकाय द्वारा प्रमाणित वार्षिक लेखे पर विचार किया गया है, सम्बन्धित दरस्तावेजों सहित इस कार्यालय को सूचित किया जाय। प्रमाणित वार्षिक लेखे के हिन्दी रूपान्तरण की पांच प्रतियां भी शीघ्र इस कार्यालय को भेजी जायें।

2. प्रसार भारती के वर्ष 2002-03 के वार्षिक लेखाओं की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि लेखाओं/अनुसूचियों में संदर्भित टिप्पणी संख्याएं सही नहीं हैं, उदाहरण के तौर पर अनुसूची सं.5 में संदर्भित संख्या (मद 1 तथा 2) 5 तथा 6 हैं जब कि वास्तव में ये 3 तथा 4 हैं। इसी प्रकार अनुसूची 8 के फुट नोट में संदर्भित टिप्पणी सं. 5 तथा 7 होनी चाहिए जैसा कि वर्णित है। अतः प्रसार भारती को सलाह दी जाती है कि इन्हें जांच कर लेखापरीक्षा को सूचना के साथ लेखाओं की प्रिंटेड प्रतियों में ठीक करवायें।


निदेशक (ए.एम.जी. II)

ए.एम.जी. II/एस.ए.आर./पी.बी./2005-06/

दिनांक:

प्रति, प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति उसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र की प्रति सहित श्री बी.के.सेठी, वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (रिपोर्ट-ए बी) के पत्र संख्या 10-रिपोर्ट(स्वा.नि.)/147-2004 दिनांक: 6.1.2005 के संदर्भ में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110 002 को अग्रेषित की जाती है।

यह पत्र महानिदेशक महोदय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

अनुलग्नक: यथोपरि

निदेशक (ए.एम.जी. II)

वर्ष 2002-03 के लिए प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) नई दिल्ली के लेखाओं पर
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

प्रस्तावना

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम), भारत के राजपत्र संख्या 643 दिनांक 23.11.1997 में अधिसूचित संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। निगम के मुख्य उद्देश्य है:-

- जनता को सूचना, शिक्षा एवं मनोरंजन हेतु लोक प्रसारण सेवाओं का आयोजन एवं संचालन करना एवं रेडियो और टेलीविजन पर प्रसारण का संतुलित विकास सुनिश्चित करना;
- देश की एकता एवं अखंडता को संभालना और संविधान के मूल्यों को प्रतिस्थापित करना;
- राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय लोकहित के सभी मामलों पर स्वतन्त्रतापूर्वक, सत्यनिष्ठा तथा निष्पक्ष रूप से नागरिकों के हितों की सुरक्षा करना तथा विरोधी विचारों के विषय में इनकी अपने मत या विचार धारा का समर्थन न करके उनको सम्मिलित करके सूचनाओं के उचित व सन्तुलित प्रवाह को प्रस्तुत करना;
- शिक्षा और साक्षरता फैलाना, कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशेष ध्यान देना;
- खेलकूद और क्रीड़ा को पर्याप्त रूप से आवृत्त करना जिससे कि स्वस्थ मुकाबले और क्रीड़ा-कौशल की भावना को प्रोत्साहित किया जा सके;
- विभिन्न स्तरों पर प्रसारण के अतिरिक्त चैनल स्थापित करके प्रसारण सुविधाओं का विस्तार करना।

22.5.2000 को संघ सरकार और प्रसार भारती के बीच शुरू हुए समन्वयन के ज्ञापन के अनुसार प्रसार भारती ने 2000-01 से परिवर्तन करके नई लेखा पद्धति अपनायी। लेखे पूरे भारतवर्ष में फैली हुई प्रसार भारती की सभी इकाइयों के लेखों की स्थिति दर्शाते हैं। प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम), जिसके दो सहयोगी खंड क्रमशः आकाशवाणी और दूरदर्शन हैं ने 1.4.2000 से अपने कार्य कलाप प्रारम्भ किये हैं। इन दो खंडों के दिन प्रतिदिन की प्राप्ति एवं भुगतान के लेन-देन मूलतः लगभग 600 आ.स. कार्यालयों के द्वारा निष्पादित किये जाते हैं।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें) अधिनियम 1971, के अनुच्छेद 19 (2) तथा प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम 1997 के अनुच्छेद 21 (3) के अन्तर्गत प्रसार भारती के लेखाओं की लेखापरीक्षा की जाती है।

प्रसार भारती मुख्यतः भारत सरकार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से सहायता अनुदान एवं ऋणों से वित्तपोषित होती है। प्रसार भारती ने वर्ष 2002-03 के दौरान भारत सरकार से 967.20 करोड़ रु. का अनुदान एवं 229 करोड़ रु. का ऋण प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त निगम ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों से 53.63 करोड़ रु. का सहायता अनुदान प्राप्त किया। इसने इस वर्ष के दौरान 547.02 करोड़ रु. की वाणिज्यिक प्राप्तियाँ और 2.11 करोड़ रु. की गैर वाणिज्यिक प्राप्तियाँ सृजित कीं। वर्ष के दौरान

प्राप्त अनुदान तथा गत वर्ष के 33.53 करोड़ रु. के अव्ययित शेष में से संगठन केवल 965.94 करोड़ रु. (योजनागत: 76.89 करोड़ रु. तथा योजनेतर: 889.05 करोड़ रु.) की राशि का ही उपयोग कर सका और 31 मार्च 2003 को 34.79 करोड़ रु. (योजनागत: 9.79 करोड़ रु. तथा योजनेतर: 25.00 करोड़ रु.) शेष अव्ययित रहे।

लेखाओं पर टिप्पणियाँ

2. तुलन पत्र

2.1 देयताएं

2.1.1 चालू देयताएं और प्रावधान (अनुसूची-7)

2.1.1.1 चालू देयताएं-जमा कार्य के विरुद्ध प्राप्त अग्रिम: 20.83 करोड़ रु.

आ.सं.अ. द्वारा जमा कार्य के रूप में प्राप्त राशियों में से किये गये भुगतान प्राप्तियों से अधिक थे। इसके साथ ही चालू देयताओं में 1.38 लाख रु. के ऋणात्मक शेष भी शामिल थे जिसके परिणामस्वरूप इतनी राशि से देयताओं को कम दिखाया गया था। विवरण नीचे दिया गया है:-

(लाख रुपये में)

मु.ले.अ. का नाम	अथ शेष	वर्ष के दौरान प्राप्ती	वर्ष के दौरान भुगतान	अन्त शेष
दू.व. गुवाहाटी	(-) 0.16	3.65	4.87	(-) 1.38
			कुल	(-) 1.38

ऋणात्मक शेष को शीघ्र जांच करके सुधार करने की आवश्यकता है।

प्रसार भारती ने बताया (जून 2005) कि मामले को सम्बन्धित आ.सं.अ. तथा मु.ले.अ. के साथ तिथि लक्ष्य के साथ उठाया गया है कि अन्तर को सुधारा जाय। इसके अतिरिक्त सू. एवं प्र. मंत्रालय के मुख्य नियन्त्रक लेखों से भी अनुरोध किया गया है कि शेषों का हस्तांतरण किया जाय।

2.1.1.2 चालू देयताएं - जमा, बयाना राशि, जमानती राशि सुरक्षा जमा: (-) 13.57 करोड़ रु.

13.57 करोड़ रु. के ऋणात्मक शेष यह दर्शाता है कि आ.सं.अ. द्वारा सुरक्षा जमा/बयाना राशि जमा के रूप में किये गये भुगतान प्राप्तियों से अधिक थे। इसके परिणामस्वरूप इतनी ही राशि से देयता को कम दर्शाया गया। प्रसार भारती ने बताया (जून 2005) मु.ले.अ. को प्रतिकूल शेषों का निवारण करने के लिए लक्षित तिथियां दी गई हैं तथा मु.नि.ले. सू. एवं प्र.मं. को भी विभिन्न आ.सं.प्रा. शीषों के अन्तर्गत शेषों को स्थानान्तरण करने का अनुरोध किया गया है।

2.1.1.3 चालू देयताएं - वेतन तथा मजदूरी आदि से कटौती: 21.58 करोड़ रु.

उपरोक्त सम्मिलित है:

(i) सा.भ.नि. कं.स.क.सा.वी.यो. आदि से सम्बन्धित सरकार को देय वेतन तथा मजदूरी आदि से वसूली से 2.63 करोड़ रु. से संबंधित ऋणात्मक शेष के परिणामस्वरूप इतनी ही राशि से देयता को कम दिखाया गया। मु.ले.का. वार. ऋणात्मक शेष का वर्गीकरण नीचे दिया गया है:

(लाख रु. में)

मु.ले.का. का नाम	अध शेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान भुगतान	अन्त शेष
दू.द. नई दिल्ली	(-) 31.90	-	89.22	(-) 121.12
दू.द. चैन्नई	(-) 121.07	19.22	19.33	(-) 121.18
आ.वा., चैन्नई	(-) 17.19	-	2.12	(-) 19.31
आ.वा. गुम्बई	-	-	1.75	(-) 1.75
जोड़				(-) 263.36

ऋणात्मक शेषों को शीघ्रतापूर्ण अन्वेषण तथा सुधार किया जाय। प्रसार भारती ने बताया (जून 2005) कि मामले को ऋणात्मक शेषों के समाधान/सुधार हेतु सम्बन्धित मु.ले.का. के साथ उठाया गया है।

(ii) 68.51 लाख रु. आ.वा./दू.द. स्टाफ क्वार्टर्स के लिए किराया/लाइसेंस फीस से सम्बन्धित थे। चूंकि, उपरोक्त देयता किसी बाह्य एजेंसी/दल को देय नहीं थी, 68.51 लाख रु. की समस्त प्राप्ति को प्रसार भारती की आय के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप देयता को 68.51 लाख रु. से अधिक बताया गया तथा साथ ही इतनी ही राशि से आय को कम बताया गया था। प्रसार भारती ने बताया (जून 2005) कि 2003-04 के लेखाओं में सुधार कर लिया है।

2.1.1.4 चालू देयताएं - आय कर/दिक्री कर जो स्रोत पर काटा गया: 6.86 लाख रु.

6.86 लाख रु. की उपरोक्त देयता का निवारण नहीं किया गया है, जो कि आयकर अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधानों के विपरीत है। प्रसार भारती ने बताया (जून 2005) कि मामले को सम्बद्ध मु.ले.का./आ.सं.अ. के साथ उठाया गया है।

2.1.1.5 चालू देयताएं - विविध देनदार: अन्य: 3.21 करोड़ रु.

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत बुक की गई राशि, अन्य विविध भुगतान - * अन्य दलों तथा विभागीय अग्रिमों * शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखे के भुगतान पक्ष में दर्शाई गई राशि के विरुद्ध समायोजित की जानी थी। इस प्रकार तुलन पत्र में देयता पक्ष में विविध देनदारों शीर्ष के अन्तर्गत गलत बुकिंग के परिणामस्वरूप देयता की 3.21 करोड़ रु. से अतियोक्ति हुई। प्रसार भारती ने बताया (जून 2005) कि 2003-04 के लेखाओं में शुद्धि कर दी गई है।

2.1.1.6 प्रावधान शून्य रु.

लेखाओं में, स्थायी परिसम्पत्तियों तथा बैंड एवं डाउट फुल डैट्स पर मूल्यहास के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। प्रसार भारती ने बताया (जून 2005) कि क्योंकि इसने लेखाकरण के नकद आधार को अपनाया है, लेखाओं में मूल्यहास का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि लेखाओं के नये प्रारूप के अनुसार स्थायी परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास प्रभासित करना ही है।

2.1.2 कार्पस/पूँजीगत निधि (अनुसूची-1)

सहायता अनुदान: 967.20 करोड़ रु (75.96 करोड़ रु. योजनागत के लिए तथा 891.24 करोड़ रु. योजनेत्तर के लिए)

मंत्रालय ने वर्ष 2002-03 के दौरान प्रसार भारती को 1000.63 करोड़ रु. (913.95 करोड़ रु. योजनेत्तर के अंतर्गत एवं 86.68 करोड़ रु. योजनागत के अन्तर्गत) की सहायता अनुदान स्वीकृत की। 1000.63 करोड़ रु. के स्वीकृत अनुदानों के विरुद्ध 'सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त अनुदानों' शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्ति के रूप में केवल 967.20 करोड़ रु. दर्शाये गये थे जिसके परिणामस्वरूप 33.43 करोड़ रु. से आय तथा साथ ही कार्पस/पूँजीगत निधियों की न्यूनोक्ति हुई। प्रसार भारती ने बताया (जून 2005) कि वर्ष 2003-04 के लेखाओं में सुधार कर दिया गया है।

2.2 परिसम्पत्तियाँ

2.2.1 स्थायी परिसम्पत्तियाँ (अनुसूची-8): 5516.27 करोड़ रु.

प्रसार भारती के तुलन पत्र में 31 मार्च 2003 को निम्नलिखित शीर्षों में 5516.27 करोड़ रु. के मूल्य की परिसम्पत्तियाँ दर्शाई गई थी:

शीर्ष	(करोड़ रु. में)
प्लांट, मशीनरी एवं उपकरण	
(क) स्टूडियो	1743.01
(ख) ट्रांसमीटर्स	2791.03
(ग) अन्य	16.11
वाहन	1.15
फर्नीचर एवं फिक्साचर्स	2.32
कार्यालय उपकरण	5.50
अन्य स्थायी परिसम्पत्तियाँ - विभिन्न योजनाओं पर पूँजीगत व्यय	957.15
जोड़	5516.27

सामान्य वित्तीय नियमों के फार्म जी.एफ.आर.-19 में अनुक्षण अपेक्षित एक केन्द्रीय परिसम्पत्ति रजिस्टर अनुरक्षित नहीं किया गया था। परिसम्पत्ति रजिस्टर के अभाव में परिसम्पत्तियों के 5516.27 करोड़ रु. के मूल्य की शुद्धता का लेखापरीक्षा में सत्यापन नहीं हो सका। प्रसार भारती ने बताया (जून 2005) कि भूमि एवं भवन तथा भूमि एवं भवन के अतिरिक्त परिसम्पत्तियों के लिए केन्द्रीय परिसम्पत्ति रजिस्टर के अनुक्षण की सम्भाव्यता पर विचार किया जा रहा है।

2.2.2 विविध लेनदार: शून्य रु.

इसमें 31.3.2003 को विभिन्न पार्टियों से प्राप्त राशियाँ शामिल नहीं हैं, जिसका विवरण इकाइयों से प्राप्त नहीं किया जा सका तथा संकलित/समेकित करके प्रसार भारती के खातों में सम्मिलित करने के उपरान्त अन्तिम लेखाओं में नहीं लिया जा सका। विभिन्न पार्टियों से वसूली योग्य राशि, उन सेवाओं के एवज में जो प्रसार भारती ने उन्हें उपलब्ध कराई थी, को लेखाओं में विविध लेनदार शीर्ष के अन्तर्गत या तो तुलन पत्र के परिसम्पत्ति पक्ष में अन्यथा तुलन पत्र के नीचे पाद टिप्पणी द्वारा दिखाया जाना चाहिए था। प्रसार भारती ने बताया (जून 2005)

कि चूंकि लेखे रोकड़ आधार पर तैयार किये जा रहे थे, लेखाओं में ' विविध लेनदार ' के लिए प्रावधान नहीं किया गया था। तथापि इसका खुलासा लेखाओं पर टिप्पणियों में कर दिया जायेगा।

2.2.3 चालू परिसम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम इत्यादि (अनुसूची-11)

2.2.3.1 चालू परिसम्पत्तियों: अनुसूचित बैंकों में बैंक शेष - चालू खाते पर: 55.18 करोड़ - एकत्रण खातों पर: 28.13 करोड़ रु. - विभिन्न कार्यालयों के पास: 87.53 करोड़ रु.

(i) प्रसार भारती द्वारा वर्ष 2002-03 के दौरान निम्नलिखित बैंक खाते परिचालित किये जा रहे थे। यद्यपि निगम मुख्यालय ने सम्बद्ध अभिलेख जैसे लेखेवार रोकड़ बही, लेखेवार खाता, रोजनामचा बही, सामान्य खाता इत्यादि, अनुरक्षित नहीं किये। बैंक समाधान तैयार नहीं किया गया तथा असमाशोधित आंकड़े प्रसार भारती के वर्ष 2002-03 के अन्तिम खातों में शामिल कर लिए गए हैं।

बैंक का नाम	चालू खाता सं.	खाते का नाम	संयुक्त रूप से परिचालित
भारतीय स्टेट बैंक	503120	दू.द. प्राप्ति खाता	जीएम (बी एवं ए) एवं जीएम (पी)
भारतीय स्टेट बैंक	503122	आ.वा. प्राप्ति खाता	जीएम (बी एवं ए) एवं जीएम (पी)
भारतीय स्टेट बैंक	578651	व्यय खाता	जीएम (बी एवं ए) एवं जीएम (पी)
केनरा बैंक	1730	व्यय खाता	जीएम (बी एवं ए) एवं जीएम (पी)
केनरा बैंक	1657	खेल कूद खाता	जीएम (बी एवं ए) एवं जीएम (पी)
बैंक आफ इंडिया	12255	व्यय खाता	जीएम (बी एवं ए) एवं जीएम (पी)
इंडियन ओवरसीज बैंक	7430	व्यय खाता	जीएम (बी एवं ए) एवं जीएम (पी)

प्रसार भारती ने बताया (जून 2005) कि अभिलेख तैयार किये जा रहे थे और तथ्य को लेखाओं की टिप्पणी में शामिल कर दिया जायेगा।

(ii) बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गयी लेखाओं की विवरणी से बैंक लेखे की सच्चाई या शुद्धता की जांच करने के लिए, एक विशेष तिथि को बैंक बुक में शेष तथा बैंक विवरणी में शेष आपस में मिलने चाहिए। वर्ष 2002-03 के लिए किसी भी भुगतान लेखे कार्यालय ने बैंक समाधान विवरण प्रस्तुत नहीं किये हैं। बैंक शेषों से गैर-समाशोधित लोक निधियों के गलत विनियोजन के जोखिम का द्योतक है। पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इंगित करने के बावजूद प्रसार भारती ने कमी के सुधार हेतु कोई कार्यवाही नहीं की है। उपरोक्त लेखाओं में दर्शाए गए बैंक शेषों की शुद्धता का इसीलिए, लेखापरीक्षा में सत्यापन नहीं हो सका। प्रसार भारती ने बताया (जून 2005) कि उन भु.ले.का को, जिन्होंने बैंक समाधान के साथ लेखे प्रस्तुत किये, बैंक शेषों की शुद्धता को सत्यापित करने के अनुदेश जारी कर दिये गये हैं।

(iii) एकत्रण खातों में 28.13 करोड़ रु. का अन्त शेष वर्ष 2002-03 के दौरान उनके सम्बद्ध लेखाओं में भु.ले.का. द्वारा दर्शाए गए 31.3.03 को दर्शाए गए प्राप्ति लेखे के अन्त शेष से सम्बन्धित थे। आ.सं.अ. से भु.ले.का. को निर्धारित प्रारूप में एक प्राप्ति लेखाओं में जमाओं की विवरणी भेजना अपेक्षित था जिसमें प्राप्तियों में जमाओं और उसमें से प्रसार भारती के मुख्य लेखे में हस्तांतरण का विवरण दिया जाना था। बदले में भु.ले.का. को बैंक में जमा किये गये प्राप्तियों लेखे से सम्बन्धित सभी आ.स.का. की एक समेकित विवरणी तैयार करने का कार्य सौंपा गया था, जिसकी एक प्रति उप महा प्रबंधक (बी एवं ए) को प्रेषित करनी चाहिए थी और एक प्रति आ.वा./दू.द. के बजट डिविजन को भेजनी थी। यद्यपि, प्राप्ति लेखे में की गई जमाओं

और उसमें से प्रसार भारती के मुख्य लेखे को किये गये हस्तांतरण से सम्बन्धित ऐसी कोई विवरणी किसी भी मु.ले.का. ने प्रसार भारती को प्रस्तुत नहीं की थी। इसके अभाव में 31.3.2003 को मु.ले.का. द्वारा उनके लेखाओं में प्राप्ति लेखे के अन्तर्गत दर्शाए गए 28.13 करोड़ रु. का लेखापरीक्षा में सत्यापन नहीं किया जा सका। प्रसार भारती ने बताया (जून 2005) कि आ.स.अ. तथा मु.ले.का. से बैंक समाशोधन विवरणी प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयास किये जा रहे थे। आ.स.का. के लिए मु.ले.का. को बैंक समाशोधन विवरणी प्रस्तुत करने के लिए लक्षित तिथियां तय की गई हैं जिसका खुलासा शीघ्र ही किया जायेगा।

(iv) मु.ले.का. द्वारा वर्ष 2002-03 के लिए प्रस्तुत किये गये प्राप्ति लेखे शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्ति एवं भुगतान लेखे के अनुसार, अन्त शेष, प्रसार भारती के मुख्य लेखे में दर्शाए 28.13 करोड़ रु. के विरुद्ध 12.79 करोड़ रु. बनते हैं। विवरण निम्नानुसार है:

(लाख रु. में)

मु.ले.का. का नाम	राशि
दू.द., गुवाहाटी	73.82
आ.वा., लखनऊ	30.14
आ.वा., चैन्नई	—
इरला	—
दू.द., कोलकाता	20.91
आ.वा., कोलकाता	684.09
आ.वा., नई दिल्ली	294.31
दू.द., नागपुर	33.63
आ.वा., मुम्बई	138.69
दू.द., चैन्नई	—
फि.डि. मुम्बई	3.83
दू.द., नई दिल्ली	—
जोड़	1279.42

इस प्रकार मु.ले.का. तथा प्रसार भारती के आंकड़ों में 15.34 करोड़ रु. का अन्तर था। प्रसार भारती द्वारा अन्तर का समाशोधन करने के कोई प्रयास नहीं किये गये थे। प्रसार भारती ने बताया (जून 2005) कि आ.सं.का. तथा मु.ले.का. को प्राप्ति एवं व्यय लेखाओं दोनों के लिए बैंक समाशोधन विवरणी तैयार करने को कहा गया है तथा उक्त कार्य के लिए सभी कार्यालय अध्यक्षों को लक्ष्य निर्धारित किये गये थे।

(v) मु.ले.का. आ.वा., चैन्नई, कोई प्राप्ति लेखे का संचालन नहीं कर रहा था, यद्यपि, इसके द्वारा प्रसार भारती को प्रस्तुत किये गये वाणिज्यिक एवं गैर वाणिज्यिक प्राप्तियों को मासिक प्राप्ति एवं भुगतान लेखे में दर्शाया गया था। प्रसार भारती ने बताया (जून 2005) कि मु.ले.का., आ.वा., चैन्नई को आ.स.का. के प्राप्ति एवं भुगतान लेखे प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है।

(vi) सम्बन्धित मु.ले.का. द्वारा उनके प्राप्ति एवं भुगतान लेखाओं में प्राप्ति लेखे शीर्ष के अन्तर्गत निम्नलिखित अन्तर पाये गये थे तथा इनको, वर्ष के दौरान अथ शेष, प्राप्तियों को लेने के बाद लेखाओं में दर्शाया जाना चाहिए था और प्रसार भारती के मुख्य लेखाओं को हस्तांतरित राशि उनके लेखाओं में दर्शाई जानी चाहिए थी। विवरण नीचे दिये गये है:

(लाख रु. में)

मु.ले.का. का नाम	1.4.2002 को प्राप्ति एवं भुगतान लेखाओं के अनुसार अन्त शेष	वर्ष 2002-03 के दौरान प्राप्ति	2002-03 के दौरान प्र.वा. मुख्य लेखे को हस्तांतरित तिथियाँ	2002-03 के प्राप्ति एवं भुगतान लेखाओं में होने वाले अन्त शेष	31.3.03 को लेखे अनुसार अन्त शेष	अन्तर
आ.वा. मुम्बई	277.54	4017.70	4189.78	105.46	138.69	33.23
आ.वा. लखनऊ	17.53	47.81	21.26	44.08	39.56	(-) 4.52
आ.वा. कोलकाता	141.90	578.17	265.35	454.72	684.09	229.37
दु.द. कोलकाता	21.42	41.42	42.49	20.35	20.40	0.05
आ.वा. नई दिल्ली	315.83	2014.43	1989.25	341.01	294.31	(-) 46.70
दु.द. नागपुर	3.48	29.99	-	33.47	33.63	0.16
जोड़				999.09	1210.68	211.59

इस प्रकार प्रसार भारती ने उपरोक्त अन्तरों को समाशोधित किये बिना ही लेखाओं को अन्तिम रूप दे दिया। प्रसार भारती ने बताया (जून 2005) कि सम्बद्ध मु.ले.का. को अन्तर को समाशोधित करने के अनुदेश जारी कर दिये थे।

2.2.3.2 चालू परिसम्पत्तियाँ - केनरा बैंक के साथ - जमा लेखे पर तथा अन्य एफ डी आर्स: 47.37 करोड़ रु.

47.37 करोड़ रु. में केनरा बैंक के खाता सं. 1730 जो मुख्यालय लेखे से सम्बंधित है, में पड़े 37.71 करोड़ रु. शामिल हैं जिसका परिणाम एफ.डी.आर्स की 37.71 करोड़ रु. से अत्योक्ति हुआ।

2.2.3.3 चालू परिसम्पत्तियाँ - पारगमन/समाशोधन में मु./आ.स.का. को/से प्रेषण: 111.82 करोड़ रु.

(i) इसमें वर्ष 2001-02 के लिए निम्नलिखित लेखे के शीर्षों के अन्त शेष वर्ष 2002-03 के अथ शेषों के साथ 23.72 करोड़ रु. का अन्तर जैसा नीचे वर्णन है, शामिल है:

(करोड़ रु. में)

लेखे का शीर्ष	31.3.2002 को अन्त शेष	1.4.2003 को अथ शेष	अन्तर
बैंक शेष	61.34	86.65	25.31
अन्य कार्यालय	159.58	158.11	(-) 1.47
रोकड़ा	0.80	0.71	(-) 0.08
इम्प्रीस्ट	3.86	3.82	(-) 0.04
जोड़	225.58	249.29	23.72

इसके परिणामस्वरूप, 25.31 करोड़ रु. से बैंक शेषों की अत्योक्ति तथा अन्य कार्यालयों, रोकड़ा, एवं इम्प्रीस्ट की क्रमशः 1.47 करोड़ रु., 8.44 लाख रु. तथा 3.82 लाख रु. की न्यूनोक्ति हुई। प्रसार भारती ने बताया (जून 2005) कि अन्तरों के निवारण हेतु लक्षित तिथियाँ तय कर दी गई हैं।

(ii) इसमें 31.3.2003 को समाप्त वर्ष के लिए प्रसार भारती के प्राप्ति एवं भुगतान लेखाओं के प्राप्ति पक्ष में अन्तिम शीर्ष को हस्तान्तरण के लिए प्रतीक्षा में प्राप्ति शीर्ष, के

अन्तर्गत दर्शाए 5.48 करोड़ रु. शामिल हैं। उपरोक्त राशि का भु.ले.का. वार खुलासा निम्नानुसार था:-

(लाख रु. में)

भु.ले.का. दू.द., दिल्ली	327.79
भु.ले.का. दू.द., घैन्नई	(-) 39.36
भु.ले.का. आ.वा., लखनऊ	(-) 3.39
भु.ले.का आ.वा., कोलकाता	263.35
जोड़	548.39

उपरोक्त शीर्ष में दर्ज राशि, निम्नलिखित महीनों के अन्त शेष/रोकड़ शेषों तथा अन्त शेष/रोकड़ के बीच अन्तर को दर्शाता है। इन अन्तरों के कारण 5.48 करोड़ रु. की परिसम्पत्तियों की अत्योक्ति हुई। प्रसार भारती ने बताया (जून 2005) कि अन्तरों के निवारण हेतु लक्षित तिथियाँ तय की गई थीं।

(iii) इसमें, प्रसार भारती अन्य कार्यालयों को/से बकाया हस्तांतरण की राशियों के बीच वर्ष 2002-03 के प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखे के निम्न शीर्षों के अन्तर्गत 92.13 करोड़ रु. का अन्तर शामिल था, जैसा कि नीचे वर्णन है:

(करोड़ रु. में)

लेखे का शीर्ष	प्राप्ती पक्ष	भुगतान पक्ष	अन्तर
प्रसार भारती तथा अन्य कार्यालयों से बकाया हस्तांतरण			
(क) प्रसार भारती खाता	1700.50	9.81	1690.19
(ख) अन्तर डिपिजन/केन्द्रों- हस्तांतरण	3.88	1769.04	(-)1765.16
(ग) अन्य स्टेशन	6.37	549.26	(-) 542.89
(घ) अन्य कार्यालय (आ.सं.का.)	530.48	10.73	519.75
अन्तिम शीर्ष की प्रतीक्षा में प्राप्तियाँ	5.48	—	5.48
जोड़	2246.71	2338.84	92.13

अन्तर के समाशोधन की आवश्यकता है। प्रसार भारती ने बताया (जून 2005) कि अन्तरों के निवारण हेतु लक्षित तिथियाँ तय कर दी गई हैं।

2.2.3.4 कर्ज/अग्रिम उच्चन्त लेखे: 10.48 लाख रु.

* उच्चन्त * शीर्ष के अन्तर्गत 10.48 लाख रु. दर्शाए गए थे क्योंकि उपरोक्त दुकिंग का विवरण एवं प्रकृति निगम कार्यालय के पास उपलब्ध नहीं थे तथा राशि को अभी लेखे के उचित शीर्ष में दर्ज किया जाना था। प्रसार भारती ने बताया (जून 2005) कि मामला अभी भु.ले.का. आ.सं., नागपुर तथा गुवाहाटी के साथ पत्राचारित था और अब मामले को अर्द्ध-शासकीय तौर पर लिया गया है।

3 आय एवं व्यय

3.1 व्यय

3.1.1 ब्याज शून्य रू.

(i) इसमें, 7 प्रतिशत की दर से प्रोद्भूत ब्याज का 298.07 करोड़ रू. जो संघ सरकार द्वारा स्वीकृत 4258.08 करोड़ रू. के पर स्थायित्व कर्जे पर देय है, शामिल नहीं है। प्रसार भारती सरकार से अनुसूची 25 के अन्तर्गत, टिप्पणी 3 के द्वारा ब्याज को माफ कराने का अनुरोध किया था जिसकी सरकार द्वारा स्वीकृति होना अभी शेष है। इस मद के लिए लेखे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप देयता/प्रावधान को 298.07 करोड़ रू. से कम बताया गया तथा इसी सीमा तक आय के ऊपर व्यय के आधिक्य को भी कम बताया गया। प्रसार भारती ने बताया (जून 2005) कि मामले को सम्बद्ध आ.स.का. तथा भु.ले.का. के साथ अन्तर की शुद्धता हेतु लक्षित तिथियों के साथ लिया गया है। इसके साथ-साथ सू. एवं प्र. मंत्रालय के मुख्य नियंत्रक लेखे से भी शेषों को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया गया है।

(ii) इसमें संघ सरकार से प्राप्त 510.35 करोड़ रू. के ऋण पर प्रोद्भूत एवं देय 14.5 प्रतिशत की दर से 74 करोड़ रू. शामिल नहीं हैं। प्रसार भारती का ऋण को ब्याज मुक्त कराने का अनुरोध अभी सरकारी विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। इस मद के लिए लेखाओं में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप देयता/प्रावधान को 74 करोड़ रू. से कम दिखाया गया। इसके कारण आय के ऊपर व्यय के आधिक्य को भी इसी सीमा तक कम दर्शाया गया।

प्रसार भारती ने बताया (जून 2005) कि मामले को सू. एवं प्र. मंत्रालय के साथ सरकारी ऋण तथा बैंड डाउटफुल ऋणों के ब्याज की माफी हेतु लिया गया है।

3.2 आय

3.2.1 अनुदान/सहायता (अनुसूची-13) शून्य रू.

(i) लेखाओं के महानियंत्रक द्वारा अनुमोदित आय एवं व्यय लेखे विवरणी के प्रारूप के अनुसार संघ सरकार से प्राप्त अनुदान सहायता को प्रसार भारती की आय के रूप में लेखांकित करना अपेक्षित है। परन्तु वर्ष के दौरान 1019.28 करोड़ रू. की अनुदान सहायता को आय को बजाय कार्पस/पूँजीगत निधी के रूप में लिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप आय के ऊपर व्यय के आधिक्य को 1019.28 करोड़ रू. से अधिक दिखाया गया था। प्रसार भारती के लेखाओं में 700.19 करोड़ रू. से आय के ऊपर व्यय के आधिक्य के बजाय 319.09 करोड़ रू. से व्यय के ऊपर आय के आधिक्य को दर्शाया जाना चाहिए था।

प्रसार भारती ने बताया (जून 2005) कि सरकारी अनुदान जो दिये गये थे वे प्रकृति में अविशिष्ट थे। इसलिए उन्हें सीधे कार्पस/पूँजीगत निधी को क्रेडिट करके प्रायोजकों के योगदान के रूप में मान कर पूँजीगत व्यवहार में लिया गया है। आय एवं व्यय लेखे में दर्शाए घाटे को यद्यपि सरकारी अनुदान के विरुद्ध समायोजित किया गया है। निवल प्रभाव वही रहा। यद्यपि, सरकारी अनुदानों की लेखाकरण पद्धति को 2005-06 के लेखाओं से बदला जा रहा है।

(ii) आ.वा. दू.द. स्टाफ क्वार्टर्स के लिए किराया/ लाईसेंस शुल्क के रूप में प्राप्त 68.51 लाख रू. को प्रसार भारती की आय के रूप में लेखांकित किया जाना था। इसको आय एवं व्यय लेखे में शामिल न किये जाने के परिणामस्वरूप आय को 68.51 लाख रू. से कम

बताया गया। प्रसार भारती ने बताया (जून 2005) कि इन प्राप्तियों को आय के रूप में लेने के अनुदेश जारी कर दिए गए हैं और 2004-05 के लेखे शोधित कर दिये जायेंगे।

4 प्राप्तियों एवं भुगतान लेखे

4.1 प्राप्तियों

4.1.1 प्रसार भारती एवं अन्य कार्यालयों (आ.सं.का.) से हस्तांतरण के कारण बकाया: 18.78 करोड़ रु.

यह सभी फील्ड इकाईयों द्वारा प्राप्त एवं निगम मुख्यालय को प्रेषित वाणिज्यिक प्राप्तियों तथा प्रसार भारती के प्राप्ती लेखे में प्रेषित पाई गई राशियों के बीच का निवल अन्तर है। अन्तर को फील्ड इकाईयों के साथ निगम मुख्यालय द्वारा समाशोधित नहीं किया गया है। इसलिये प्राप्तियों एवं भुगतान लेखे में दर्शाए गए आंकड़ों की शुद्धता को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका। प्रसार भारती ने बताया (जून 2005) कि आ.सं.का. से प्राप्ती लेखे के लिए बैंक समाशोधन विवरणी के प्राप्त होने पर अन्तर का पता लगाकर, लेखाओं में विसंगतियां, यदि कोई हुई तो लेखाओं में सुधार कर लिया जायेगा।

4.1.2 प्रसार भारती एवं अन्य कार्यालयों से हस्तांतरण के कारण बकाया - प्रसार भारती लेखे: 78.84 करोड़ रु.

यह प्रसार भारती के बजट अनुभाग द्वारा वर्ष 2002-03 के दौरान निगम मुख्यालय से बाहर स्थित विभिन्न फील्ड इकाईयों को, उनकी निगम मुख्यालय को वापसियों को घटाकर, जारी की गई राशियों तथा फील्ड इकाईयों द्वारा वास्तव में बुक की गई और निगम मुख्यालय को सूचित की गई राशियों के बीच निवल अन्तर है। उपरोक्त अन्तर का निगम मुख्यालय से समाशोधन नहीं गया है। इसलिए प्राप्तियों एवं भुगतान लेखे में दर्शाई गई राशियों की शुद्धता को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका। प्रसार भारती ने बताया (जून 2005) कि अन्तर वर्ष 2002-03 के बिल्कुल अन्त में जारी राशि के कारण था। भु.ले.का. को आंकड़ों को सम्बन्धित आ.सं.का. के साथ समाशोधित करने को कहा गया है।

4.2 भुगतान

4.2.1 प्रसार भारती के प्राप्तियों एवं भुगतान लेखे में ऋणात्मक शेष को समाप्त न किया जाना

लेखाओं के निम्नलिखित शीर्षों में ऋणात्मक प्रविष्टियां थीं जिनका अभी तक निदान नहीं किया गया था, परिणामतः भुगतान को 21.97 लाख रु. से कम दिखाया गया।

(लाख रु. में)

भु.ले.का का नाम	लेखों का शीर्ष	राशि
भु.ले.का. दू.द., नागपुर	व्यय (पूँजीगत खाता)दूरसमीटर्स	0.48
भु.ले.का. दू.द., गुवाहाटी	भंडारण पर व्यय	2.92
भु.ले.का. आ.वा., कोलकाता	भंडारण पर व्यय	18.57
जोड़		21.97

प्रसार भारती ने बताया (जून 2005) कि मामले को सम्बद्ध भु.ले.का. के साथ प्रतिकूल शेषों के निदान हेतु उठाया गया है। आ.सं.का. तथा भु.ले.का. के लिए प्रतिकूल शेषों के समाधान हेतु लक्षित तिथियां निर्धारित की गई हैं।

4.2.2. बैंक खातों का न दर्शाया जाना - प्रसार भारती के लेखाओं में पृथक प्राप्ति खाता तथा व्यय खाता

प्रसार भारती के अधिनस्थ प्रत्येक आहरण एवं संभरण अधिकारी (आ.सं.अ.) को उनकी निधियों के प्रबन्धन के लिए दो पृथक खाते अनुरक्षित करना अपेक्षित है। अर्थात् प्राप्ति खाता तथा व्यय खाता। जबकि आ.सं.का. की सभी प्राप्तियों (वाणिज्यिक तथा गैर वाणिज्यिक) प्राप्ति खाते में जमा की जाती है जो बाद में निगम मुख्यालय पर अनुरक्षित प्राप्ति खाते को प्रेषित की जाती है, आ.सं.का. को जारी की गई अनुदानों व्यय खाते में जमा की जाती हैं तथा उसमें से सभी भुगतान किये जाते हैं। परन्तु प्रसार भारती के 31 मार्च 2003 को वर्ष के लेखाओं की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि फील्ड इकाइयों के प्राप्ति एवं व्यय लेखाओं के अन्तर्गत पड़े बैंक शेषों को लेखाओं में पृथक तौर पर नहीं दर्शाया गया था। इसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष के अन्त में उपरोक्त लेखाओं में पड़े शेषों का लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं हो सका है। प्रसार भारती ने इन लेखाओं में पड़ी राशि का मु.ले.का. वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया था। प्रसार भारती ने बताया (जून 2005) कि एक बार प्राप्ति लेखे एवं व्यय लेखे दोनों के लिए बैंक समाशोधन विवरणी तैयार करने की प्रक्रिया पूरी हो जाय तो भविष्य में लेखाओं के पृथकीकरण को दोनों लेखों में दिखाया जाएगा।

4.2.3 बैंक अन्त शेष - आ.वा. तथा दू.द. प्राप्ति खाता: 2.35 करोड़ रु. (1.95 करोड़ रु.+ 0.40 करोड़ रु.)

प्रसार भारती ने न तो उपरोक्त खातों की रोकड़ बही तैयार की थी और न ही वह बैंक स्क्रोल प्रस्तुत कर सकें थे। परिणामस्वरूप, 'आ.वा. प्राप्ति खाते' शीर्ष में दर्शाए 1.95 करोड़ रु. तथा 'दू.द. प्राप्ति खाते' में शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाए गए अन्त शेष की शुद्धता का लेखापरीक्षा में सत्यापन नहीं हो सका। प्रसार भारती ने बताया (जून 2005) कि आ.वा. प्राप्ति खाता तथा दू.द. प्राप्ति खाते की रोकड़ बहियाँ तैयार कर ली गई हैं और अगली लेखापरीक्षा के दौरान दिखा दी जायेगी।

5 सामान्य

5.1 महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति सं.3 की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसमें कहा गया है कि संघ सरकार द्वारा परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण मूल्यांकन तथा सत्यापन के अधीन रह कर ही किया जा सकता है। इसलिए, संघ सरकार द्वारा हस्तांतरित की गई परिसम्पत्तियों की एक सूची उस मूल्य के साथ जिस पर वे लेखाओं को लिए गए हैं, विशिष्ट तौर पर तैयार करके अनुसूची 25 के अन्तर्गत एक टिप्पणी के रूप में खुलासा करनी चाहिए। वास्तविक मूल्यांकन तथा सत्यापन के बकाया के तथ्य को भी लेखाओं में लेखाओं के भाग के रूप में एक टिप्पणी द्वारा दर्शाना चाहिए। प्रसार भारती ने बताया (जून 2005) कि सूची केवल प्रोफार्मा लेखे के पूरा होने पर ही तैयार की जायेगी। वास्तविक सत्यापन तथा मूल्यांकन के तथ्य के बकाया लेखाओं की टिप्पणी के रूप में दिखाए जायेंगे।

5.2 प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की धारा 3(4) के अनुसार इसके सामान्य अधिक्षण, निर्देश तथा प्रबन्धन के मामले प्रसार भारती बोर्ड के पास निहित है। जो ऐसी सभी शक्तियों का उपयोग करता है तथा ऐसे सभी कार्य एवं व्यवहार करता है जो इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रसार भारती द्वारा किये या व्यवहार में लाये जा सकते हैं।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि प्रसार भारती के पास कोई लेखाकरण पुस्तिका नहीं है। इसमें मूल्य निपुण प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए कोई विशिष्ट तौर पर खाता बद्ध आंतरिक नियंत्रण प्रणाली भी नहीं है। प्रसार भारती ने बताया (जून 2005) कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा पारित लेखाकरण पद्धति को ध्यान में रखते हुए, अब लेखांकन पुस्तिका तैयार की जायेगी।

5.3 सा.वि.नि. के नियम 116(1) के अनुसार परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन कम से कम वर्ष में एक बार किया जाना चाहिये, परन्तु प्रसार भारती के पास इसकी फील्ड इकाईयों के परिसम्पत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन से सम्बन्धित कोई सूचना नहीं थी। परिसम्पत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की सूचना के अभाव में, प्रसार भारती के 31.3.2003 को समाप्त वर्ष के लेखाओं में दर्शाए गए परिसम्पत्तियों के मूल्य का लेखापरीक्षा में सत्यापन नहीं हो सका। प्रसार भारती ने बताया (जून 2005) कि चूंकि परिसम्पत्तियों के संरक्षक फील्ड इकाईयां हैं उन्हें अधिकार है कि वे परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन करके परिसम्पत्ति रजिस्टर में प्रमाण पत्र दर्ज करें। इससे पहले ऐसा प्रमाण पत्र फील्ड इकाईयों द्वारा प्रोफार्मा लेखे में दर्ज किया जाता था। फिर भी पुरानी परम्परानुसार आ.सं.अ. को प्रत्येक वर्ष मार्च के प्राप्ति एवं भुगतान लेखे के साथ प्रमाण पत्र भेजने को कहा जायेगा।

5.4 प्रसार भारती इस आशय का प्रमाण पत्र भी नहीं प्रस्तुत कर सकी कि इसके पास कोई बेकार या अनुपभोज्य परिसम्पत्तियाँ नहीं हैं। इस कारण वस 5516.28 करोड़ रु. की परिसम्पत्तियों के मूल्य का लेखापरीक्षा में सत्यापन नहीं हो सका। प्रसार भारती ने बताया (जून 2005) कि विभागाध्यक्षों को शक्तियों के अधिकार सौंपे गये हैं कि वे भंडारों की पहचान करके सौंपी गई शक्तियों के अनुसार उनका निपटान करें। इस आशय के अनुदेश क्षेत्रीय इकाईयों को प्रेषित किये गये हैं।

5.5 लेखाओं पर टिप्पणियाँ

लेखाओं पर टिप्पणियों की मद सं. 10 के अनुसार प्रसार भारती ने कहा है कि चूंकि संवैधानिक लेखापरीक्षकों ने सलाह नहीं दी थी, प्रसार भारती के लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए नि.म.ले.प. के शुल्क का प्रावधान नहीं किया गया है। इस धारा को शामिल करना नियमानुसार संगतपूर्ण नहीं है, और जहाँ लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) तथा 20 के अन्तर्गत की जाती है वहाँ वार्षिक लेखाओं के प्रमाणीकरण के लिए शुल्क लेना अनिवार्य है।

5.6 लेखाकरण सिद्धान्तों का विपथन

अनुसूची - 3 - रेखांकित/एंडोर्मेंट निधियों के अनुसार 794.80 करोड़ रु. के शेष में वर्ष 2000-01 तथा 2001-02 के दौरान कार्पस निधी से हस्तांतरित क्रमशः 358.86 करोड़ रु. तथा 435.94 करोड़ रु. शामिल थे। आगे 2002-03 के दौरान भी 463.40 करोड़ रु. हस्तांतरित किये गये थे जो लेखाओं के एक समान प्रारूप से मेल नहीं खाता था। इन्हें कार्पस निधि का भाग होना चाहिए था। एंडोर्मेंट/रेखांकित निधी का संचालन पृथक मार्ग निर्देश पर होता है जैसाकि लेखाओं के समान प्रारूप में वर्णित है। अतः प्रसार भारती उचित लेखाकरण सिद्धान्तों को अपनाये।

5.7 गत वर्ष के आंकड़ों को गलत दर्शाना

यह पाया गया था कि 31 मार्च 2003 को समाप्त वर्ष के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची-3 में वर्णित आंकड़े पिछले वर्ष के आंकड़े वास्तव में वर्ष 2000-01 के थे न कि वर्ष 2001-02 के। अतः प्रसार भारती को सलाह दी जाती है कि 2002-03 के लेखाओं में दी गई पिछले वर्ष के आंकड़ों के विरुद्ध वर्ष 2001-02 के सही आंकड़े अंकित करे।

6 आंतरिक लेखापरीक्षा

इसकी 31.3.2003 के तुलन पत्र के अनुसार प्रसार भारती के पास कुल 6058.75 करोड़ रु. की परिसम्पत्तियाँ तथा देयताएँ हैं जिनमें 5516.28 करोड़ रु. की स्थायी परिसम्पत्तियाँ हैं। इसने 967.70 करोड़ रु. के अनुदान तथा 229 करोड़ रु. का कर्ज वर्ष 2002-03 के दौरान भारत सरकार से लिया। इसके साथ ही इसने 53.63 करोड़ रु. की अनुदान सहायता स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा अन्य मंत्रालयों से प्राप्त की थी। परन्तु यह पाया गया था कि प्रसार भारती में कोई आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली मौजूद नहीं थी। प्रसार भारती द्वारा भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों की बड़ी राशि तथा इसकी गतिविधियों के क्रम को ध्यान में रखते हुए, व्यय की मात्रा, गति तथा व्यय की औचित्यता, निधियों का विपथन, आय एवं व्यय आदि का समाशोधन पर एक निगरानी रखने हेतु एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली स्थापित करने की शीघ्र आवश्यकता है। प्रसार भारती ने बताया (जून 2005) कि मुख्य नियंत्रक लेखे, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की सहमति से एक दल का गठन पहले ही किया जा चुका है तथा उन्होंने, एक आन्तरिक लेखापरीक्षा ढांचे की स्थापना से पहले ही, प्रसार भारती के आ.सं.का. के लेखाओं की आंतरिक लेखापरीक्षा करना आरम्भ कर दिया है।

7 लेखाओं का प्रारूप

विशिष्ट लेखांकन नीतियाँ (अनुसूची-24)

इसके वित्तीय विवरणी को रोकड़ा आधार पर तैयार करने सम्बन्धी लेखांकन नीति सं.1 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। प्रसार भारती की नीति साधारण तौर पर स्वीकार्य लेखांकन नीति के साथ मेल नहीं खाती है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लिए एक समान लेखाओं का प्रारूप भी लेखांकन की प्रोद्भूत प्रणाली के ऊपर आधारित है। प्रसार भारती ने बताया (जून 2005) कि वे वर्ष 2005-06 से लेखांकन की प्रोद्भूत प्रणाली की ओर स्थानांतरित हो रहे हैं।

8 इकाई के अभिलेखे प्रस्तुत नहीं किए गए

दूरदर्शन वाणिज्यिक सेवाएँ नई दिल्ली के अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए थे। वर्ष के दौरान प्रसार भारती के निगम मुख्यालय आ.वा. खंड तथा दूरदर्शन खंड के अधिपत्य में मौजूद या उनके द्वारा प्रयोग में लाये जा रहे कम्प्यूटर हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर से सम्बंधित विवरण भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गये थे, इस तथ्य की लेखापरीक्षा में जाँच नहीं हो सकी। प्रसार भारती ने बताया (जून 2005) कि कम्प्यूटर हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर के विवरण अगली लेखापरीक्षा के समय प्रस्तुत कर दिये जायेंगे।

9 लेखापरीक्षा टिप्पणियों का लेखाओं पर निवल प्रभाव

गत पैराग्राफों में दी गई टिप्पणियों का निवल प्रभाव यह है कि 31.3.2003 को परिसम्पत्तियों को 55.95 करोड़ रू. अधिक बताया गया, देयताएं 417.82 करोड़ रू. कम बताई गई, व्यय 647.22 करोड़ रू. अधिक बताया गया, आय 34.12 करोड़ रू. कम बताई गई तथा भुगतान 21.97 लाख रू. कम बताए गए थे।

स्थान:- नई दिल्ली
दिनांक:-

महानिदेशक लेखापरीक्षा,
केन्द्रीय राजस्व

लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र

मैंने प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) नई दिल्ली के 31 मार्च 2003 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान/आय एवं व्यय लेखे तथा 31 मार्च 2003 के तुलन पत्र की जाँच कर ली है। मैंने अपेक्षित सभी सूचना एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये हैं, सिवाय

दूरदर्शन वाणिज्यिक सेवाएं, नई दिल्ली के लेखाओं के अभिलेखों के साथ वर्ष के दौरान, प्रसार भारती मुख्यालय, आ.वा. खंड तथा दूरदर्शन खंड में मौजूद या उनके द्वारा उपयोग में लाए गए कम्प्यूटर हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर से सम्बंधित विवरणों के

तथा लेखाओं के साथ संलग्न तथा उनके भाग के रूप में प्रस्तुत इन स्पष्टीकरणों तथा संलग्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अधीन रहते हुए जिसमें मुख्य तौर पर निम्नलिखित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ हैं:

- ऋणात्मक शेष को शामिल करने के कारण चालू देयताओं - जमाओं, बयाना राशि, जमानती राशि/सुरक्षा जमा को 13.57 करोड़ रु. कम बताना (पैरा 2.1.1.2);
- ऋणात्मक शेष को शामिल करने के कारण चालू देयताएं - वेतन से वसूली एवं मजदूरी आदि को 2.63 करोड़ रु. कम बताना (पैरा 2.1.1.3(i)) ;
- आ.वा./दू.द. स्टाफ क्वार्टर्स के लिए किराया/लाईसेंस शुल्क की वसूली को शामिल करने के कारण, चालू देयता को 68.51 लाख रु. अधिक बताना (पैरा 2.1.1.3(ii));
- गलत बुकिंग के कारण चालू देयताओं - विविध देनदारों को 3.21 करोड़ रु. अधिक बताना (पैरा 2.1.1.5);
- सहायता अनुदान के साथ-साथ कार्पस/पूजीगत निधि को 33.43 करोड़ रु. कम बताना (पैरा 2.1.2);
- परिसम्पत्तियों के रजिस्टर का अनुक्षण न करना (पैरा 2.2.1);
- चालू खाते में पड़ी राशि को शामिल करने के कारण एफ डी आर को 37.71 करोड़ रु. अधिक बताना (पैरा 2.2.3.2) ;
- 2001-02 के अन्त शेष तथा 2002-03 के अथ शेष में अन्तर के कारण परिसम्पत्तियों को 23.72 करोड़ रु. अधिक बताना (पैरा 2.2.3.3(i));
- मासिक अन्त बैंक/रोकड़ शेषों तथा आगामी माह के अथ बैंक/रोकड़ शेष के बीच अन्तरों की मौजूदगी के कारण परिसम्पत्तियों को 5.48 करोड़ रु. कम बताना (पैरा 2.2.3.3(ii));
- 1019.28 करोड़ रु. की सकल अनुदान के पूंजीकरण के कारण आय को कम बताना (पैरा 3.2.1(i));
- आन्तरिक लेखापरीक्षा का न होना (पैरा 6)।

मैं, अपनी लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप प्रमाणित करता हूँ कि यह लेखे और बुलन पत्र उचित प्रकार से तैयार नहीं किए गये हैं तथा मेरी राय में, मुझे दिये गये तथा प्रसार भारती के अभिलेखों में दर्शाये गये सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार ये प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) नई दिल्ली के कार्यकलापों का सही एवं उचित रूप प्रस्तुत नहीं करते हैं।

स्थान:- नई दिल्ली
दिनांक:-



महानिदेशक लेखापरीक्षा,
केंद्रीय राजस्व

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) 31.03.2003 को तुलन पत्र


कार्पस/पूँजीगत निधि और देनदारियां	अनुसूची संख्या	रु०	
		31.03.2003 को	31.03.2002 को
कार्पस/पूँजीगत निधि	1	0	0
रिजर्वस् और अधिशेष	2	0	0
उद्दिष्ट/अक्षय निधि	3	12581980077	7948015535
सुरक्षित कर्जे	4	0	0
असुरक्षित कर्जे	5	47684272000	45394302000
आस्थागत जमा देनदारियां	6	0	0
वर्तमान देनदारियां एवं शर्ते	7	321245872	462136150
	कुल योग	60587497949	53804453685


परिसंपत्तियां

नियत परिसंपत्तियां	8	55162782077	50528817535
चालू पूँजीगत कार्य	8	0	0
निवेश (1) उद्दिष्ट/अक्षय निधि	9	0	0
(2) अन्य	10	0	0
वर्तमान परिसंपत्तियां, कर्जे, अग्रिम विविध व्यय	11	3498155389	2608549260
आय और व्यय लेखा के अनुसार घाटा		1926569483	667086890
	योग	60587497949	53804453685

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	24
आकस्मिक देनदारियां और लेखा टिप्पणियां	25


के०एस०सर्मा
सी०ई०ओ०
स्थान : नई दिल्ली


ए०एल० गणपति
सदस्य (वित्त)


एन० सुमाति
महाप्रबन्धक (बी एण्ड ए०)

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम)
वर्ष 2002-03 के लिए आय और व्यय लेखा

	अनुसूची संख्या	रुपए 31.03.2003 को	रुपए 31.03.2002 को
आय			
बिक्री और सेवा से आय	12	5491317573	5635527340
अनुदान/आर्थिक सहायता	13	-	-
फीस/अंशदान	14	-	-
निवेश से आय (उद्दिष्ट/अक्षय निधियों से हस्तांतरित निधि से आय)	15	-	-
रायल्टी, प्रकाशन इत्यादि से आय	16	-	-
अर्जित ब्याज	17	2218534	3516120
अन्य आय	18	213787220	54526424
तैयार सामान और कार्यप्रगति पर है से संबंधित बढ़ोत्तरी/(घटोत्तरी)	19	-	-
योग -क		5707323327	5693569884
व्यय			
स्थापना व्यय	20	10837058188	10728665348
कार्यक्रमों से संबंधित व्यय	21	1872193593	1644458816
अनुदान/आर्थिक सहायता पर व्यय	22	-	-
ब्याज	23	-	-
मूल्य ह्रास		-	-
योग-ख		12709251781	12373124164
आय से अधिक व्यय के अन्तर का शेष (क-ख)		-7001928454	-6679554280
घटा: कार्पस/पूँजीगत निधि से स्थानांतरित		5742454861	6012467390
जमा: पिछले वर्ष से अग्रणीत शेष		-667086890	-
घाटा होने के कारण शेष अग्रणीत		-1926560483	-667086890
मुख्य लेखा नीतियाँ	24		
आकस्मिक देनदारियाँ और लेखा टिप्पणियाँ	25		
के०एस०सर्मा सी०ई०ओ०	ए०एल० गणपति सदस्य (वित्त)	एन० सुभाषि महाप्रबन्धक (बी एण्ड ए०)	

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक :

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम)
31.03.2003 के तुलन पत्र निर्माण की अनुसूचियाँ

अनुसूची-1-कार्पस/पूँजीगत निधि:	जैसा दिनांक 31.03.2003 को	जैसा दिनांक 31.03.2002 को
वर्ष के प्रारंभ में शेष (लेखा टिप्पणियों की अनुसूची -25 टिप्पणी-3 देखें)	0	1163324448
जमा: वर्ष के दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान (योजना)	759600000	0
जमा: वर्ष के दौरान, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान (गैरयोजना)	9095962895	9117700000
जमा: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों से प्राप्त सहायक अनुदान (लेखा टिप्पणियों की अनुसूची - 25 टिप्पणी-4 देखें)	520858708	90881000
घटाव : पूँजीगत आस्तियों निधि को हस्तान्तरण	4833964542	4359438058
शेष कार्पस/पूँजीगत निधि आय और व्यय लेखा में शुद्ध व्यय में समायोजित	5742454861	6012467390
वर्ष के अंत में शेष	<u>5742454861</u>	<u>6012467390</u>
	0	0

अनुसूची 2-आरक्षित एवं अधिशेष

1. पूँजीगत आरक्षित
अन्तिम लेखे के अनुसार वर्ष के दौरान शामिल
2. सामान्य आरक्षित
अन्तिम लेखे के अनुसार वर्ष के दौरान शामिल
घटाव : वर्ष के दौरान घटाव

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम)
31.03.2003 के तुलन पत्र निर्माण की अनुसूधियों

अनुसूची-3 उददिष्ट/अव्यय निधियों	जैसा दिनांक	जैसा दिनांक
पूँजीगत परिसम्पतियाँ/निधियाँ	31.03.2003 को	31.03.2002 को
क- निधियों का अथ शेष	7948015535	3588577477
ख- निधियों में जमा : पूँजीगत व्यय/अग्रिम खर्च के लिए कार्पस/पूँजीगत निधि से हस्तांतरित राशि	4633964542	0
वर्ष के अन्त में निवल शेष (क+ख)	12581980077	3588577477

अनुसूची-4 सुरक्षित कर्जें और उधार

अनुसूची 5- असुरक्षित कर्जें

1. शाश्वत कर्जें इनके ब्याज को माफ कराना (अनुसूची 25-लेखा टिप्पणियों की टिप्पणी-5 देखें)	42580802000	42580802000
2. केन्द्र सरकार इनके ब्याज को माफ कराना (अनुसूची-25 लेखा टिप्पणी-8 देखें)	2813500000	2813500000
3. सू०औरप्रसा० मंत्रालय से पूँजीगत ऋण योग (टिप्पणी: एक वर्ष में देय राशी (शून्य))	2289970000 47684272000	0 45394302000

अनुसूची-6 आस्थगित देनदारियाँ:

अनुसूची-7 वर्तमान देनदारियाँ और उपबंध

क- वर्तमान देनदारियाँ निलेप कार्य के बदले प्राप्त अग्रिम	208329173	204224596
निलेप, बयाना, अवधान दृष्य/प्रतिभूति जमा	-135658207	12713649
अन्य वर्तमान देनदारियाँ- वेतन और मजदूरी आदि से वसूलियाँ	215838825	213147752
स्रोत पर काटा गया आयकर/बिड्डीकर विविध ऋणदाता-अन्य	685928 32050153	32050153
योग-क	321245872	462136150
ख- उपबन्ध योग ख योग क+ ख	321245872	462136150

**प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम)
31.03.2003 के तुलन पत्र निर्माण की अनुसूचियाँ**

अनुसूची-3 विगत परिसम्पत्तियाँ

विवरण	वर्ष के दौरान		वर्ष के अन्त में अन्त		वैद्यमान		वैद्यमान	
	1.4.02 के अवसत	वर्ष के दौरान स्थितियों से परिवर्तन हस्तगत	वर्ष के दौरान कटौती/उत्सारण पुनः वर्गीकरण	वर्ष के अन्त में अन्त	वर्ष के लिए	वर्ष तक संचयी	31.03.2003 के	31.03.2003 के

अ-विगत

परिसम्पत्तियाँ

1. भूमि

2. धन आदि

3. संपत्तियाँ

और उपकरण

क-सूचियों	15928908590	1501218107	-	17430126897	-	0	17430126897	15928908590
ख-ट्रांसमिटर	26639124595	2271191469	-	27910316065	-	0	27910316065	26639124595
ग-अन्य	772131703	7794368	618826631	161088440	-	0	161088440	772131703
4. वाहन	4265080	7709375	-	11474455	-	0	11474455	4265080
5. कार्गो, जुद्धात	15871376	7355227	-	23226603	-	0	23226603	15871376
6. कंप्यूटर उपकरण	25685741	29317196	-	55002877	-	0	55002877	25685741
7. अन्य विगत परिसम्पत्तियाँ								
केपीटल एक्स	8142330450	809878859	616837521	9571546940	-	0	9571546940	8142330450
वैद्यमान वर्ष का योग(अ)	50528817535	4633964542	-	55162782077	-	0	55162782077	50528817535
ब-इतिहास पर								
पूनीगत वर्ष							0	0
योग (ब)	0							
योग	50528817535	4633964542	-	55162782077	-	0	55162782077	50528817535
विगत वर्ष	46169279477	4359438068	-	50528817535	-	0	50528817535	

वर्ष के दौरान किए गए घोषों से इतिहास जो गई विगत परिसम्पत्तियाँ उचित हैं।
संशोधन से प्राप्त अनुदान 4633964542 रु।
(वेसा विषयों की अनुसूची 25 दिवसीय-7 देखें)

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम)
31.03.2003 के तुलन पत्र निर्माण की अनुसूधियों

अनुसूची-9 उददिष्ट/अक्षय निधि से निवेश	रुपए 31.03.2003 की स्थिति	रुपए 31.03.2002 की स्थिति
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों		
3. अन्य		
योग		
अनुसूची 10-निवेश अन्य		
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों में		
3. अन्य		
योग		
अनुसूची 11 वर्तमान आस्तियाँ, कर्जे और अग्रिम इत्यादि		
क- वर्तमान आस्तियाँ		
वस्तु सूधियाँ		
विविध कर्जदार		
नकद शेष/अग्रदाय	45480483	45591400
बैंक में शेष राशि :		
अ) अनुसूचित बैंको में		
चालू खातों में	551846175	476490953
संग्रहण खातों में	281306159	58929279
केनरा बैंक के जमा खाते	473694388	77966988
विविध कार्यालयों में (देखें अनुसूची 25 टिप्पणी 13)	875278601	1595811038
ब) मुख्यालय/पारवहन डी०डी०आ०/समायोजन से जमा	1118170554	321966298
योग (क)	3345776360	2577755956
ख-कर्जे/अग्रिम		
1. कर्जे/अग्रिम		
कर्मचारी	2590698	60039
अन्य/विभागीय	148740483	29597469
उच्चत खाते	1047868	1135796
2. अग्रिम और नकद माल या कीमत के रूप में वसूल की जाने वाली राशि		
पूजोगत खातों पर		
पूर्वभुगतान		
अन्य		
3. प्रोदभूत ब्याज		
उददिष्ट अक्षय निधि से निवेश		
अन्य निवेश		
अन्य		
4. वसूली योग्य दावे		
योग (ख)	152379029	30793304
योग क + ख	3498155389	2608549280

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम)

31.03.2003 के समाप्त वर्ष की आय और व्यय पत्र निर्माण की अनुसूचियाँ

अनुसूची-12-बिक्री/सेवा से आय	रुपए 31.03.2003 की स्थिति	रुपए 31.03.2002 की स्थिति
सेवा से आय		
आकाशवाणी, विज्ञापन और दूरदर्शन योग	5491317573	5635527340
अनुसूची-13 अनुदान/इमदाद	5491317573	5635527340
1. केन्द्र सरकार		
2. राज्य सरकार		
योग		
अनुसूची-14 फीस/अंशदान		
अनुसूची-15 निवेश से आय		
आवधिक जमा पर ब्याज	उददिष्ट निधि से निवेश	अन्य निवेश
योग		
अनुसूची-16 रायल्टी प्रकाशन इत्यादि से आय		
अनुसूची-17 अर्जित ब्याज		
अनुसूचित बैंकों की मियादी जमा से	2218534	3516120
योग	2218534	3516120
अनुसूची-18 अन्य आय		
टावरों की फीस सहित अन्य प्रप्तियाँ	213787220	54526424
योग	213787220	54526424
अनुसूची-19 तैयार सामान और कार्य प्रगति पर है से संबंधित बढोत्तरी (घटोत्तरी)		

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम)

31.03.2003 के समाप्त वर्ष की आय और व्यय पत्र निर्माण की अनुसूचियाँ

	रुपए 31.3.2003 की स्थिति योजना	रुपए 31.3.2003 की स्थिति गैर योजना	रुपए 31.3.2002 की स्थिति योजना	रुपए 31.3.2002 की स्थिति गैर योजना
अनुसूची-20-स्थापना एवं अन्य प्रशासनिक व्यय				
अन्य मंत्रालयों/विभागों से जी0आई0ए0 का भुगतान				
				17229368
अनुसंधान एवं प्रशिक्षण व्यय	8041118	72390342	5253623	83275676
निर्देशन और प्रशासनिक व्यय	67262080	455620074	82303127	883288180
प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय	172674258	2376015080	270970228	2276428030
योजना एवं विकास व्यय	27105973	167898205	16833677	149283639
कार्यक्रम सेवा व्यय	269000891	5904623081	313737239	5396326856
व्यवसायिक सेवा भुगतान	274171696	522827522	330995487	529634038
विज्ञापन और प्रचार	425863	22932204	734296	9077287
अन्य सेवाएं		2119491		
बैंक प्रभार		83859		
पेंशन संबंधी प्रभार/अंशदान		530257873		409718000
छुट्टी वेतन अंशदान		6452040		
उपभोज्य अभियांत्रिकी भण्डार		42952962		123609398
घटा : नियत परिसम्पत्तियों से प्रभारित		-85596414		-150032801
पूँजीगत व्यय				
योग	818681869	10018376319	1000827677	9727837671
(देखें अनुसूची 25 टिप्पणी 9)				
अनुसूची-21 कार्यक्रम संबंधी व्यय				
रायल्टी	183873377	195590533	4947577	178593946
पी0टी0आई0/यू0एन0				
आई0 को भुगतान	10222483	144823932		113277243
कार्यक्रम साफ्टवेयर				
लगाने का व्यय	259019549	25412103	542330643	
पैनम सेंटलाईट व्यय		281772925	330604554	
खेलों पर व्यय	774674994	6003697		474704853
योग	1218590403	653603190	877882774	766576042

अनुसूची-22 इमदाद अनुदान पर व्यय

अनुसूची-23- ब्याज

कर्ज पर ब्याज-केन्द्र सरकार
शाश्वत कर्ज पर ब्याज

कुल ब्याज

(संदर्भ अनुसूची-25,लेखा टिप्पणियों की टिप्पणी 6 और 6)

अनुसूची 24-महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. लेखा पद्धति-

निगम की नीति है कि वह अपनी लेखा विवरणियां रोकड़ पावती और संवितरण आधार पर तैयार करे। इस आधार पर राजस्व और संबंधित परिसम्पत्तियों का रिकार्ड, अर्जित करने के बजाए उन्हें प्राप्त होने पर किया जाता है तथा व्यय का रिकार्ड बंधन उठाने के बजाए उन्हें भुगतान करने के समय पर किया जाता है।

2. वस्तु सूची का मूल्यांकन

भंडार और पुर्जों (मशीनी पुर्जों सहित) का मूल्यांकन उनकी कीमत पर किया जाता है।

3. नियत परिसम्पत्तियाँ

नियत परिसम्पत्तियों में प्रसार भारती को हस्तांतरित परिसम्पत्तियों की हस्तांतरण राशि आती है और तदनुरूप जमा राशि में "शाश्वत ऋण" आता है।

आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा ली गई विभिन्न योजनाओं पर पूंजीगत व्यय के संबंध में सभी संबंधित और सह-व्यय पूंजीगत है।

केन्द्र सरकार द्वारा परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण वास्तविक मूल्यांकन और सत्यापन के अधीन है।

4. मूल्यहास पद्धति

मूल्यहास का प्रावधान नहीं है

5. विदेशी मुद्रा का संचालन

विदेशी मुद्रा के संचालन का हिसाब संचालन तिथि को विद्यमान विनिमय दर से किया जाता है।

अनुसूची 25 लेखा और आकस्मिक देनदारियों पर टिप्पणियाँ
लेखा टिप्पणियाँ :
लेखा अनन्तिम है तथा इसकी सी0ए0जी0 द्वारा लेखा परीक्षा
होनी है

1. प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) की स्थापना एक आम लोक उपयोगी संस्था के रूप में की गई है, तथा यह "लाभ के लिए नहीं संगठन" के अन्तर्गत आता है। तदनुसार आम स्वीकार्य लेखा पद्धतियों पर आधारित और आयकर अधिनियम की धारा 145 के अनुसार यह निगम लेखा की रोकड़ या वाणिज्य पद्धति अपना सकता है। संगठन की संरचना, पूर्व में प्रयोग होने वाली पद्धतियों और सरलता के पहलू को ध्यान में रखते हुए लेखा की रोकड़ पद्धति अपनाई गई है। इस पद्धति के अन्तर्गत राजस्व अनुदान या दान का रिकार्ड रोकड़ संग्रह पर होता है इसी तरह कार्य सम्पन्न करने के दौरान परिसम्पत्तियों के अर्जन और रख रखाव का व्यय तथा कर्मचारियों का वेतन और अन्य वस्तुओं का रिकार्ड उनका भुगतान करते समय किया जाता है। आय और व्यय लेखा और उसका तुलन पत्र नकद पावती और भुगतान के आधार पर होता है। वित्तीय विवरणी तैयार करते समय लेखा मानकों को लागू करने के मुद्दे का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया गया :-

- 0 प्रसार भारती प्रसारण निगम को कम्पनी अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया है
- 0 आई0सी0ए0आई0 द्वारा जारी लेखा मानक, संस्थान के सदस्यों को आई0सी0ए0आई0 द्वारा समय समय पर जारी सुसंगत घोषणा के अनुसार उनकी परिसम्पत्तियों के निष्पादन के लिए अनिवार्य है। प्रसार भारती प्रसारण निगम की परिसम्पत्तियों की प्रक्रिया भारत के महालेखा नियंत्रक में निहित है।

तदनुसार, जहां तक वित्त विवरणी तैयार करने की पद्धति का संबंध है लेखा नीति-1 प्रकटन आवश्यकता पूरी करती है।

2. इस तथ्य को देखते हुए कि लोक प्रसारक के रूप में प्रसार भारती को मूलभूत सुविधाओं के रख रखाव, प्रचालन और निर्माण के लिए मिलने वाला अनुदान विनिर्दिष्ट नहीं है अतः लेखा अभिमत के तहत प्रोत्साहकों का अंशदान मानते हुए इसके लिए सीधे कार्पस/पूँजीगत निधि से राशि ली गई है।

3. सरकार द्वारा मंजूर शाश्वत ऋण पर 7 % की दर से ब्याज देय है। ब्याज की शर्तों को माफ करने के लिए मामला सरकार के साथ उठाया जा रहा है।

4. निबन्धन और शर्तों के अनुसार सरकार द्वारा जारी ऋण पर 14.5 % की दर से ब्याज है तथापि ऋण को ब्याज मुक्त कराने के लिए निगम की प्रार्थना पर एक निर्णय सरकार के पास लम्बित है।

5. केन्द्र सरकार द्वारा खाता मूल्य पर प्रसार भारती को हस्तांतरित आवधिक परिसम्पत्तियों की राशि लेखा महानियंत्रक के पत्र संख्या-सी0सी0ए0/आई एण्ड बी0/2002 दिनांक 3.9.2002 पर आधारित मानी गई है। तथा प्रत्यक्ष सत्यापन और मूल्यांकन के अधीन है।

6. कर प्रणाली
इस वर्ष के लिए प्रसार भारती आयकर देने का दायी नहीं है, अतः इसकी जानकारी यहां नहीं दी जा रही है।

7. पेन्शन प्रभार कर्मचारियों की पेन्शनरी सुविधाओं के लिए किए गए अंशदान से संबंधित हैं।

कर्मचारियों को निगम में हस्तान्तरण करने की अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है अतः पेन्शन प्रभार सहित इस तरह के खाते से कोई अन्य भुगतान नहीं किया गया।


8. अन्तर्कार्यालय संक्रमण खाते
सामान्यतया इन खातों में भिन्नता वित्त वर्ष के समापन में संक्रमण काल में धन भेजने को दर्शाती है तदनुसार यह लेखा में इसी तरह दर्शाए जाते हैं।

तरह दर्शाए जाते हैं।

9. डिपोजिट बक्स
कार्य के व्यय के समायोजन के बाद पार्टियों से डिपोजिट बक्स
के लिए प्राप्त राशि इस शीर्ष में रखी जाती है।

10. प्रसार भारती की लेखा परीक्षा के लिए महानियंत्रक
की फीस दिए जाने का प्रावधान नहीं है क्योंकि वैधानिक लेखा
परीक्षक मान्य नहीं किए गए हैं।

11. आय और व्यय विवरणियों 2001-2 में गलती से
दर्शाए गए (7.15 करोड़) केनरा बैंक और (11.21 करोड़)
अन्य केंद्रों/कार्यालयों में आदि शेष और घाटे को सूचना और
प्रसारण मंत्रालय से अनुदान मिल जाने के कारण संशोधित किया
गया है।



के०एस०सर्मा
सी०ई०ओ०
स्थान : नई दिल्ली



ए०एल० गणपति
सदस्य (वित्त)



एन० सुमाति
महाप्रबन्धक (बी एण्ड ए०)

दिनांक :

(1) अकाउंट्स अंतर्गत अति	2017-102	1125546	(1) अति-निर्दिष्ट						
अकाउंट्स			अकाउंट्स	81476	81476				
(2) अति-निर्दिष्ट	22882424		अकाउंट्स	478843377	478843377	5145697600	1143291000		
(3) अति-निर्दिष्ट अति	31544020		अकाउंट्स						
			अकाउंट्स	3009188482	3078210451	11809906113	18142144037	1.00E+009	11730579543
9. अति-निर्दिष्ट अकाउंट्स									
(1) अति-निर्दिष्ट अकाउंट्स	20531258								
(2) अति-निर्दिष्ट अकाउंट्स	11518003								
10. अति-निर्दिष्ट अकाउंट्स	221938	8610003							
11. अति-निर्दिष्ट अकाउंट्स	598132	33281932	2. अति-निर्दिष्ट अकाउंट्स						
			(1) अति-निर्दिष्ट अकाउंट्स						
			अकाउंट्स	354388	354388		718471		718471
			अकाउंट्स	3381201	3381201		3110127		3110127
12. अति-निर्दिष्ट अकाउंट्स	11186264	-1413498							
13. अति-निर्दिष्ट अकाउंट्स			(2) अति-निर्दिष्ट अकाउंट्स						
			अकाउंट्स	8852427	8852427		8500333		8100503
			अकाउंट्स	40582298	40582298		20842742		20842742
14. अति-निर्दिष्ट अकाउंट्स	267000								
			(3) अति-निर्दिष्ट अकाउंट्स						
			अकाउंट्स	81254251	81254251		7861504		7913334
			अकाउंट्स	1287125803	1287125810		15188803		11888222
			(4) अति-निर्दिष्ट अकाउंट्स						
			अकाउंट्स	8373829	8373828		2212150		2212150
			अकाउंट्स	1373194	1373190		25786031		25730921
			(5) अति-निर्दिष्ट अकाउंट्स						
			अकाउंट्स	14403458	14403038		11570007		11570007
			अकाउंट्स	251371855	251371855		8508172		8509172
			(6) अति-निर्दिष्ट अकाउंट्स						
			अकाउंट्स				8534831		8534831
			अकाउंट्स				89742473		89742473
			(7) अति-निर्दिष्ट अकाउंट्स						
			अकाउंट्स				10885248		83686248
			अकाउंट्स				73828840		73828840
			(8) अति-निर्दिष्ट अकाउंट्स						
			अकाउंट्स				4321985		4321985
			(9) अति-निर्दिष्ट अकाउंट्स						
			अकाउंट्स				8788474		8788474
			अकाउंट्स				33131886		33131886
			(10) अति-निर्दिष्ट अकाउंट्स						
			अकाउंट्स	17098022	17098022		1.87E+005		184335580
			अकाउंट्स	158952835	158952835		1.49E+008		178507457
3. अति-निर्दिष्ट अकाउंट्स									
अकाउंट्स			अकाउंट्स	1055750	4779984	5836734	897600		867090
अकाउंट्स	2500	58936116	अकाउंट्स		58939416		17E+007		12591261
4. अति-निर्दिष्ट अकाउंट्स									
अकाउंट्स			अकाउंट्स	224157231	224157231		1.57E+009		148407924
अकाउंट्स			अकाउंट्स	505525857	505525857		5.17E+008		510408454
अकाउंट्स	1080250	4371305138	अकाउंट्स		4332355388		3.87E+009		3557227991
			कुल अकाउंट्स	1098250	4311305138	4332355388	3557227991	0	3557227991

**Audit Report on the Accounts of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India),
New Delhi, for the year 2002-03**

Introduction

The Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) (PB) was established under an Act of Parliament notified in the Gazette of India No. 643 of 23/11/1997. The main objectives of the Prasar Bharati are:

- to organise and conduct public broadcasting services to inform, educate and entertain the public and to ensure balanced development of broadcasting on radio and television;
- to uphold the unity and integrity of the country and the values enshrined in the Constitution;
- to safeguard the citizen's right to be informed freely, truthfully and objectively on all matters of public interest, national or international, and to present a fair and balanced flow of information including contrasting views without advocating any opinion or ideology of its own;
- to pay special attention to the field of education and spread literacy, agriculture, rural development, environment, health and family welfare and science and technology;
- to provide adequate coverage to sports and games so as to encourage healthy competition and the spirit of sportsmanship;
- to expand broadcasting facilities by establishing additional channels of transmission at various levels.

As per Memorandum of Understanding of 22.5.2000 entered between Prasar Bharati and the Union Government, Prasar Bharati had switched over to the present new accounting system with effect from 2000-01. The accounts represents the consolidated position of the accounts of all the units of Prasar Bharati scattered all over India. The Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) which commenced its activity as a corporate body w.e.f. 1.4.2000 has two wings, namely AIR (All India Radio) and DD (Doordarshan). The day to day transactions of receipts and payments of these two wings of Prasar Bharati are basically executed by about 600 DDOs.

The accounts of Prasar Bharati are audited under Section 19 (2) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 21 (3) of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1997.

The Prasar Bharati is financed mainly by grants-in-aid and loan from the Government of India, Ministry of Information & Broadcasting. It received grants totaling Rs. 967.20 crore and loan of Rs. 229 crore from the Government of India during 2002-03. Besides, it received grants-in-aid of Rs. 53.63 crore from the Ministry of Health & Family Welfare and other Ministries. It also generated commercial receipts of Rs. 547.02 crore and non-commercial receipts of Rs. 2.11 crore during the year. Out of the grant received during the year, and the unspent balance of Rs. 33.53 crore of the previous year, the organisation could utilise a sum of Rs. 965.94 crore (Plan: Rs. 76.89 crore and Non-Plan : Rs. 889.05 crore) leaving a balance of Rs. 34.79 crore (Plan: Rs. 9.79 crore and Non-Plan : Rs. 25.00 crore) as unutilised grant as on 31st March 2003.

Comments on accounts

2. Balance Sheet

2.1 Liabilities

2.1.1.1 Current liabilities and provisions (Schedule-7)

2.1.1.1.1 Current liabilities-Advances received against deposit work: Rs. 20.83 crore

The payments made out of the amounts received as deposit work by the DDO were more than the receipt. Consequently, the current liabilities included minus balance of Rs. 1.38 lakh resulting in the understatement of liability by the same amount. The detail is given below:-

(Rs in lakh)				
Name of the PAO	Opening Balance	Receipt during the year	Payment during the year	Closing Balance
DD, Guwahati	(-) 0.16	3.65	4.87	(-) 1.38
Total				(-) 1.38

The minus balance needs to be urgently investigated and rectified.

Prasar Bharati stated (June 2005) that the matter had been taken up with concerned DDOs and PAOs with target dates to rectify the difference. Besides, Chief Controller of Account, Ministry of I&B had also been requested to transfer the balances.

2.1.1.2 Current liabilities- Deposits, earnest money, caution money/security deposit: Rs. (-) 13.57 crore

The minus balance of Rs. 13.57 crore indicates that the payments made as security deposit/earnest money deposit by DDOs were more than the receipts. This has resulted in understatement of liability by same amount. Prasar Bharati stated (June 2005) that the PAOs had been given target dates to liquidate the adverse balances and CCA, I&B had also been requested to transfer the balances under various DDR heads.

2.1.1.3 Current liabilities- recovery from salary and wages etc: Rs. 21.58 crore

The above included:

- (i) Minus balance of Rs. 2.63 crore pertaining to recovery from salary & wages etc. payable to Government in respect of GPF, CGEGIS etc. resulting in understatement of liability by the same amount. The PAO wise up break up of minus balance is given below:

(Rs. in lakh)				
Name of PAO	Opening balance	Receipts during the year	Payments during the year	Closing balance
DD, New Delhi	(-) 31.90	--	89.22	(-) 121.12
DD, Chennai	(-) 121.07	19.22	19.33	(-) 121.18
AIR, Chennai	(-) 17.19	--	2.12	(-) 19.31
AIR, Mumbai	--	--	1.75	(-) 1.75
Total				(-) 263.36

The minus balances need to be urgently investigated and rectified. Prasar Bharati stated (June 2005) that the matter had been taken up with concerned PAOs to rectify/reconcile the minus balances.

(ii) Rs. 68.51 lakh pertained to 'rent/license fee for AIR/DD staff quarters'. Since the above liability was not payable to any outside agency/party, the entire receipt of Rs. 68.51 lakh should have been shown as income of Prasar Bharati. This had resulted in overstatement of liability by Rs. 68.51 lakh as well as understatement of income by the same amount. Prasar Bharati stated (June 2005) that correction had been made in 2003-04 accounts.

2.1.1.4 Current liabilities- Income tax/Sales tax deducted at source: Rs. 6.86 lakh

The above mentioned liability of Rs. 6.86 lakh had not been discharged contrary to the provisions under Income Tax Act. Prasar Bharati stated (June 2005) that the matter had been taken up with the concerned PAOs/DDOs.

2.1.1.5 Current liabilities- Sundry creditors- others: Rs. 3.21 crore

The amount booked under the above head was adjustable against amount shown under the head 'Other Misc. payments - Other parties and Departmental advances' on payment side of the Receipts and Payments Account. Thus, wrong booking under the head 'Sundry Creditors' as liability in the Balance Sheet resulted into overstatement of liability by Rs. 3.21 crore. Prasar Bharati stated (June 2005) that correction had been made in 2003-04 accounts.

2.1.1.6 Provisions Rs. Nil

No provision has been made for depreciation on fixed assets and bad and doubtful debts in the accounts. Prasar Bharati stated (June 2005) that since it had adopted cash basis of accounting, no provision for depreciation had been made in the accounts. The reply is not tenable as depreciation is to be charged on fixed assets as per new format of accounts.

2.1.2 Corpus/Capital Fund (Schedule-1)

Grants-in-aid: Rs. 967.20 crore (Rs 75.96 crore for Plan and Rs. 891.24 crore for Non-Plan)

Ministry had sanctioned grants-in-aid of Rs. 1000.63 crore (Rs. 913.95 crore under Non-Plan and Rs. 86.68 crore under Plan) to Prasar Bharati during 2002-03. Against the sanctioned grants of Rs. 1000.63 crore, only Rs. 967.20 crore was shown as receipt under the head 'Grants received from Ministry of Information and Broadcasting' resulting into understatement of income as well as corpus/capital funds by Rs. 33.43 crore. Prasar Bharati stated (June 2005) that the correction had been made in the accounts for 2003-04.

2.2 Assets

2.2.1 Fixed Assets (Schedule-8): Rs. 5516.27 crore

The Balance Sheet of Prasar Bharati showed assets valued at Rs. 5516.27 crore as on 31st March 2003 under the following heads:

Heads	(Rs. in crore)
Plant, Machinery & Equipment	
(a) Studio	1743.01
(b) Transmitters	2791.03
(c) Others	16.11
Vehicles	1.15
Furniture & fixtures	2.32
Office equipment	5.50
Other fixed assets- Capital expenditure on various schemes	957.15
Total	5516.27

A Central Assets Register required to be maintained under General Financial Rules in Form GFR-19 was not maintained by Prasar Bharati. In the absence of Assets Register, the correctness of the value of assets of Rs. 5516.27 crore could not be verified in audit. Prasar Bharati stated (June 2005) that the feasibility of maintaining Central Asset Register for land and building and other than land and building was being considered.

2.2.2 Sundry Debtors: Rs. 0

This does not include the amounts due from various parties as on 31.3.2003, the details of which have not been collected from the units and compiled/consolidated and brought to books of accounts and incorporated in the final accounts of Prasar Bharati. The amount recoverable from various parties for services provided by Prasar Bharati should have been reflected in the accounts either on the assets side of the Balance Sheet under the head 'Sundry Debtors' or by way of footnote below the Balance Sheet. Prasar Bharati stated (June 2005) that since the accounts were being prepared on cash basis, provision for Sundry Debtors had not been made in the accounts. Disclosure would, however, be made in 'Notes to Accounts'.

2.2.3 Current assets, Loans and Advances etc. (Schedule-11)

2.2.3.1 Current assets- Bank balances with Scheduled Banks – on current account: Rs. 55.18 crore – on collection account: Rs. 28.13 crore – with various offices: Rs. 87.53 crore

(i) Following bank accounts were being operated by Prasar Bharati during 2002-03. However, the Corporate Headquarters has not maintained the relevant accounting records viz. account-wise cash book, account-wise ledger, journal books, general ledger etc. Bank reconciliation has not been prepared and the unreconciled figures have been included in the final accounts of Prasar Bharati for the year 2002-03.

Name of the Bank	Current A/c No.	Name of the Account	Operated jointly by
State Bank of India	503120	DD Receipt Account	GM (B&A) & GM (P)
State Bank of India	503122	AIR Receipt Account	GM (B&A) & GM (P)
State Bank of India	578651	Expenditure Account	GM (B&A) & GM (P)
Canara Bank	1730	Expenditure Account	GM (B&A) & GM (P)
Canara Bank	1657	Sports Account	GM (B&A) & GM (P)
Bank of India	12255	Expenditure Account	GM (B&A) & GM (P)
Indian Oversea Bank	7430	Expenditure Account	GM (B&A) & GM (P)

Prasar Bharati stated (June 2005) that the record was being constructed and the fact would be incorporated in 'Notes to account'.

(ii) In order to judge the accuracy or correctness of the bank account with the statement of accounts provided by the bank, the balance in bank book and the balance in the accounts in the bank should tally on a particular date. None of the Pay and Accounts offices had submitted bank reconciliation statements for the year 2002-03. Non-reconciliation of bank balances is fraught with the risk of misappropriation of public funds. Prasar Bharati has not taken any action to rectify the deficiency despite this being pointed out in the previous Audit Report. The correctness of bank balances shown in the above accounts could not, therefore, be verified in audit. Prasar Bharati stated (June 2005) that instruction had been issued to PAOs who submit the accounts along with the bank reconciliation statements to certify the correctness of bank balance.

(iii) The closing balance of Rs. 28.13 crore on collection accounts pertained to closing balance of Receipt Account as on 31.3.2003 shown by the PAOs in their respective accounts for the year 2002-03. The DDOs were required to submit to PAO, a statement of Deposits in 'Receipt Account' in the prescribed format giving the details of deposits in receipts and transfer therefrom to Prasar Bharati's main account. The PAOs in turn were entrusted with the task of preparing consolidated statement of all the DDOs in respect of receipts deposited in the bank in the 'Receipt Account' of which one copy was to be sent to the DGM (B&A) and one copy to the Budget Division of AIR/DD. However, such statement in respect of deposits made into the Receipt Account and transfers made therefrom to Prasar Bharati Main Account was not submitted by any of the PAOs to Prasar Bharati. In the absence of this, the closing balance of Rs. 28.13 crore shown by the PAOs under the head 'Receipt Account' in their accounts as on 31.3.2003 could not be verified in audit. Prasar Bharati stated (June 2005) that vigorous efforts were being made to get the bank reconciliation statements from the DDOs and PAOs. Target dates had been fixed for the DDOs for submission of bank reconciliation statement to the PAOs which would be mentioned closely.

(iv) The closing balances under the head 'Receipt Account' as per the Receipts and Payments Account for the year 2002-03 submitted by the PAOs worked out to Rs. 12.79 crore as against Rs. 28.13 crore depicted in Prasar Bharati's main account. The details are as under:

(Rs. in lakh)	
Name of the PAO	Amount
DD, Guwahti	73.82
AIR, Lucknow	30.14
AIR, Chennai	--
IRLA	--
DD, Kolkata	20.91
AIR, Kolkata	684.09
AIR, New Delhi	294.31
DD, Nagpur	33.63
AIR, Mumbai	138.69
DD, Chennai	--
FD, Mumbai	3.83
DD, New Delhi	--
Total	1279.42

Thus, there was a difference of Rs. 15.34 crore between the figures of PAOs and those of Prasar Bharati. No efforts were made by Prasar Bharati to reconcile the difference. Prasar Bharati stated (June 2005) that the DDOs and PAOs were asked to prepare bank reconciliation

statements for both Receipt and Expenditure Accounts and targets had now been assigned to all heads of offices for the above work.

(v) The PAO, AIR, Chennai was not operating any Receipt Account, although commercial and non-commercial receipts were shown in the monthly Receipts and Payments Account submitted by it to Prasar Bharati. Prasar Bharati stated (June 2005) that the PAO, AIR Chennai was advised to submit the Receipts and Payments Account of DDOs.

(vi) The following differences were noticed in the closing balance reflected under the head 'Receipt Account' by the respective PAOs in their Receipts and Payments Accounts and that should have appeared in the accounts after taking into account the opening balance, receipts during the year and amount transferred to Prasar Bharati main accounts shown in their accounts. The details are given below:-

(Rs. in lakh)						
Name of the PAO	Opening balance as per Receipts and Payments accounts as on 1.4.2002	Receipt during the year 2002-03	Funds transferred to PB main account during 2002-03	Closing balance to appear in the Receipts & Payments Accounts for 2002-03	Closing balance as per accounts as on 31.3.2003	Difference
AIR, Mumbai	277.54	4017.70	4189.78	105.46	138.69	33.23
AIR, Lucknow	17.53	47.81	21.26	44.08	39.56	(-) 4.52
AIR, Kolkata	141.90	578.17	265.35	454.72	684.09	229.37
DD, Kolkata	21.42	41.42	42.49	20.35	20.40	0.05
AIR, New Delhi	315.83	2014.43	1989.25	341.01	294.31	(-) 46.70
DD, Nagpur	3.48	29.99	-	33.47	33.63	0.16
Total				999.09	1210.68	211.59

Thus, Prasar Bharati finalised the accounts without reconciling the above differences. Prasar Bharati stated (June 2005) that the instruction had been issued to concerned PAOs to reconcile the difference.

2.2.3.2 Current assets – On deposit account with Canara Bank and other FDRs:

Rs. 47.37 crore

Rs. 47.37 crore includes Rs. 37.71 crore lying in Canara Bank current account No.1730 pertaining to Headquarters account resulting in overstatement of FDRs by Rs. 37.71 crore.

2.2.3.3 Current assets- remittances to/from HQ/DDOs in transit/reconciliation:

Rs. 111.82 crore

- (i) This includes a difference of Rs. 23.72 crore as detailed below in the closing balances of following heads of accounts for the year 2001-02 with the opening balances for the year 2002-03:-

(Rs. in crore)

Head of Account	Closing Balance as on 31.3.2002	Opening Balance as on 1.4.2002	Difference
Bank balances	61.34	86.65	25.31
Other offices	159.58	158.11	(-) 1.47
Cash in hand	0.80	0.71	(-) 0.08
Imprest	3.86	3.82	(-) 0.04
Total	225.58	249.29	23.72

This has resulted in the overstatement of Bank balances by Rs. 25.31 crore and understatement of other offices, cash in hand and imprest by Rs. 1.47 crore, Rs. 8.44 lakh and Rs. 3.82 lakh respectively. Prasar Bharati stated (June 2005) that target dates had been fixed for liquidation of differences.

(ii) This included Rs. 5.48 crore shown under the head 'Receipts awaiting transfer to final head' on the receipt side of the Receipts and Payments Accounts of Prasar Bharati for the year ended 31.3.2003. The PAO-wise break-up of the above amount was as under:-

(Rs. in lakh)

PAO, DD, Delhi	327.79
PAO, DD, Chennai	(-) 39.36
PAO, AIR, Lucknow	(-) 3.39
PAO, AIR, Kolkata	263.35
Total	548.39

The amount booked under the above head represented differences between monthly closing bank/cash balances and opening balance of bank/cash of the following months. These differences have resulted in the understatement of assets by Rs. 5.48 crore. Prasar Bharati stated (June 2005) that target dates had been fixed for liquidation of differences.

iii) This included a difference of Rs. 92.13 crore between the figures of outstanding on account of transfer to/from Prasar Bharati/other offices as detailed below in the following heads of Receipts and Payments Account for the year 2002-03:-

(Rs. in crore)

Head of Account	Receipt side	Payment side	Difference
Outstanding on account of transfer from Prasar Bharati & other offices			
a) Prasar Bharati A/c	1700.50	9.81	1690.19
b) Inter Divisions/Kendras-transfer	3.88	1769.04	(-) 1765.16
c) Other station	6.37	549.26	(-) 542.89
d) Other offices (DDO)	530.48	10.73	519.75
Receipts awaiting transfer to final head	5.48	--	5.48
Total	2246.71	2338.84	92.13

The difference needs reconciliation. Prasar Bharati stated (June 2005) that target dates had been fixed for liquidation of differences.

2.2.3.4 Loan/Advances-Suspense account : Rs. 10.48 lakh

Rs. 10.48 lakh was shown under the head 'Suspense' because the details and nature of above booking was not available with the corporate office and the amount was yet to be booked under the correct head of account. Prasar Bharati stated (June 2005) that the matter was still under correspondence with PAOs, DD Nagpur and Guwahati and the matter had now been taken up demi-officially.

3. Income and Expenditure

3.1 Expenditure

3.1.1 Interest Rs. Nil

(i) This does not include Rs. 298.07 crore, being the accrued interest at the rate of 7 per cent and due on 'Loan in Perpetuity' of Rs. 4258.08 crore granted by the Union Government. Prasar Bharati had requested the Government for waiver of interest vide note 3 under schedule 25 which was yet to be accepted by the Government. No provision has been made in the accounts for this item. This has resulted in understatement of liability/provision by Rs. 298.07 crore and also resulted in understatement of 'Excess of expenditure over income' by the same extent. Prasar Bharati stated (June 2005) that the matter had been taken up with concerned DDOs and PAOs with target dates to rectify the difference. Besides, Chief Controller of Account, Ministry of I&B had also been requested to transfer the balances.

(ii) This does not include Rs. 74 crore, being the accrued interest at the rate of 14.5 per cent due on Loan of Rs. 510.35 crore received from the Union Government. Prasar Bharati's request to make the loan interest free has not yet been accepted by the Government department. No provision has been made in the accounts for this item. This has resulted in understatement of liability/provision by Rs. 74 crore. This has also resulted in understatement of 'Excess of expenditure over income' by the same extent.

Prasar Bharati stated (June 2005) that the matter had been taken up with Ministry of I&B for waiver of interest of Government loans and bad doubtful debts.

3.2 Income

3.2.1 Grant/Subsidies (Schedule-13) Rs. Nil

(i) As per the format of Income and Expenditure Account statement approved by the Controller General of Accounts, the grants-in-aid received from the Union Government are required to be accounted as income of Prasar Bharati. However, grants-in-aid of Rs. 1019.28 crore received during the year were treated as Corpus/Capital Fund instead of as income resulting in overstatement of 'Excess of expenditure over income' by Rs. 1019.28 crore. The accounts of Prasar Bharati should have depicted 'excess of income over expenditure' by Rs. 319.09 crore instead of 'excess of expenditure over income' by Rs. 700.19 crore.

Prasar Bharati stated (June 2005) that Government grants given were unspecified in nature. As such, capital approach had been taken up by crediting them directly to Corpus/Capital Fund, treating it in the nature of promoters' contribution. The deficit shown in the Income and Expenditure Account was, however, adjusted against Government grants. The net effect remained the same. System of accounting of Government grants was, however, being changed from 2005-06 accounts.

(ii) Rs. 68.51 lakh received as rent/license fee for AIR/DD staff quarters was required to be accounted as income of Prasar Bharati. Non-inclusion of the same in Income and Expenditure Account has resulted in understatement of income by Rs. 68.51 lakh. Prasar Bharati stated (June 2005) that instruction had been issued to treat these receipts as income and the account for the year 2004-05 would be rectified.

4. Receipts and Payments Accounts

4.1 Receipts

4.1.1 Outstanding on account of transfers from Prasar Bharati and other offices (DDO): Rs. 18.78 crore

This is the net difference between the commercial receipts remitted by all the field units and reported to Corporate headquarters and the amounts found remitted in the receipt account of Prasar Bharati. This difference has not been reconciled by the Corporate headquarters with field units. Therefore, the correctness of figures depicted in the Receipts and Payments Account could not be verified in audit. Prasar Bharati stated (June 2005) that on receipt of bank reconciliation statement for receipt account from the DDOs, the difference would be located and misclassification in accounts, if any, rectified in the accounts.

4.1.2 Outstanding on account of transfers from Prasar Bharati and other offices-Prasar Bharati account: Rs. 78.84 crore

This is the net difference between the amounts released by Budget section of Prasar Bharati during the year 2002-03 to various field units situated outside the Corporate headquarters less their refunds to the Corporate headquarters and the consolidated total of the actual receipts booked by the field offices and intimated to the Corporate headquarters. The above difference had not been reconciled by the Corporate headquarters. Therefore, the correctness of figures depicted in the Receipts and Payments Account could not be verified in audit. Prasar Bharati stated (June 2005) that the difference represented the amount released at the fag end of the year 2002-03. PAOs had been asked to reconcile the figures with the DDOs concerned.

4.2 Payments

4.2.1 Non-clearance of minus balance in the Receipt and Payment Account of Prasar Bharati

The balances shown under the following head of accounts consist of minus entries which have not been cleared so far resulting in the understatement of payment by Rs. 21.97 lakh.

		(Rs. in lakh)
Name of the PAO	Head of Accounts	Amount
PAO, DD, Nagpur	Expenditure (Capital A/c) Transmitters	0.48
PAO, DD, Guwahti	Expenditure on stock	2.92
PAO, AIR, Kolkata	Expenditure on stock	18.57
Total		21.97

Prasar Bharati stated (June 2005) that the matter had been taken up with the concerned PAOs to liquidate the adverse balances. Target dates had now been prescribed for DDOs and PAOs to settle the adverse balances.

4.2.2 Non-depiction of bank accounts –Receipt Account and Expenditure Account separately in the accounts of Prasar Bharati

Every drawing and disbursing officer (DDO) under the jurisdiction of Prasar Bharati is required to maintain two separate bank accounts viz Receipt Account and Expenditure Account to manage their funds. While all the receipts of the DDOs (both commercial and non-commercial) are deposited into the Receipt Account which is ultimately remitted to the Receipt Account maintained at the Corporate headquarter, the grants released by Prasar Bharati to the DDOs is deposited into the Expenditure Account and all payments are made therefrom. However, scrutiny of accounts of Prasar Bharati for the year ending 31st March 2003 revealed that the bank balances lying under the Receipt and Expenditure Accounts of the field units had not been shown separately in the accounts. This resulted in the balances lying in the above accounts at the close of the financial year not being verified in audit. Prasar Bharati also could not furnish PAO-wise breakup of amounts lying in these accounts. Prasar Bharati stated (June 2005) that once the process of preparation of bank reconciliation statement both for Receipt and Expenditure account was completed, bifurcation of both the accounts would be reflected in future.

4.2.3 Closing Bank Balance- AIR and DD Receipt Accounts: Rs. 2.35 crore (Rs. 1.95 crore + Rs. 0.40 crore)

Prasar Bharati had neither maintained a cash book nor could it produce bank scrolls in respect of the above accounts. Consequently, the correctness of the closing balance of Rs. 1.95 crore shown under the head 'AIR Receipt Account' and Rs. 0.40 crore shown under the head 'DD Receipt Account' could not be verified in audit. Prasar Bharati stated (June 2005) that the cash books of AIR Receipt Account and DD Receipt Account had been constructed and would be shown during next audit.

5. General

5.1 A reference is invited to the significant accounting policy no. 3 which states that transfer of assets by the Union Government is subject to actual valuation and verification. Therefore, a statement indicating the list of assets transferred by Union Government alongwith the value at which they have been taken to accounts should have been distinctly disclosed by way of a Note under schedule 25. The facts of pendency of actual valuation and verification should also be disclosed in the accounts by way of Note forming part of accounts. Prasar Bharati stated (June 2005) that the list would be completed only on completion of Proforma Accounts. The fact and pendency of actual verification and valuation would be disclosed as 'Notes to Account'.

5.2 As per Section 3 (4) of Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990, its general superintendence, direction and management of the affairs vest in the Prasar Bharati Board which exercise all such powers and do all such acts and things as may be exercised or done by Prasar Bharati under this Act.

It was observed in audit that Prasar Bharati does not have any Accounting Manual. There are also no distinctly documented internal control procedures to ensure cost efficient governance. Prasar Bharati stated (June 2005) that the Accounting Manual would now be prepared keeping in view the accounting policy approved by the Ministry of Information and Broadcasting

5.3 As per Rule 116 (1) of GFR, physical verification of assts should be conducted once in a year but Prasar Bharati did not have information on physical verification of assts by its field units. In the absence of information of physical verification of assets, the value of assets depicted in the accounts of Prasar Bharati for the year-ended 31.3.2003 could not be verified in audit. Prasar Bharati stated (June 2005) that since the custodian of the assets were the field units, they had been authorised to conduct physical verification of assets and record certificate in the asset register. Earlier such certificate was recorded by the field unit in the Proforma Account. However, as per past practice, the DDO would be asked to furnish certificate alongwith Receipts and Payments Account of March each year.

5.4 Prasar Bharati could not give a certificate to the effect that it was not holding any obsolete or unserviceable assets. Consequently, the correctness of value of fixed assets of Rs. 5516.28 crore could not be verified in audit. Prasar Bharati stated (June 2005) that heads of office/head of department had been delegated powers to identify and dispose of the stores under the delegated powers. Instructions to this effect had been reiterated to the field offices.

5.5 Notes on accounts

As per item 10 to notes on accounts, the Prasar Bharati has mentioned that CAG's fee for audit of accounts of Prasar Bharati has not been provided for as statutory Auditors have not advised. The incorporation of this clause is not in consonance with the rules and charging of fees for certification of annual accounts is mandatory in cases where audit is taken up under Sections 19(2) and 20 of C& AG's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

5.6 Deviation from Accounting Principles

As per Schedule - 3 - Earmarked/Endowment funds, opening balance of Rs. 794.80 crore includes Rs. 358.86 crore and Rs. 435.94 crore transferred from corpus funds during 2000-01 and 2001-02 respectively. Further, Rs. 463.40 crore was also transferred during 2002-03, which was not in conformity with the uniform format of accounts. These should form part of corpus fund. Operation of Endowment/Earmarked fund is on separate guidelines as detailed in uniform format of accounts. Prasar Bharati is therefore advised to adopt the correct accounting principles.

5.7 Wrong depiction of previous year figures

It was noticed that previous year figure mentioned in Schedule 3 forming part of Balance Sheet, for the year ending 31st March 2003 were actually for the year 2000-01 and not for the year 2001-02. Prasar Bharati is, therefore, advised to adopt correct figures for the year 2001-02 mentioned in the Accounts of 2002-03 against previous year's figures.

6. Internal Audit

Prasar Bharati as per its Balance Sheet as on 31.3.2003, has total assets and liability worth Rs. 6058.75 crore comprising fixed assets of Rs. 5516.28 crore. It received grant of Rs. 967.20 crore and loan of Rs. 229 crore from the Government of India during the year 2002-03. Besides, it received grants in aid of Rs. 53.63 crore from the Ministry of Health & Family Welfare and other Ministries. However, it was noticed that there existed no internal audit system in Prasar Bharati.

Keeping in view the large amount of grants being received by Prasar Bharati from the Government of India and its range of activities, there is an urgent need to establish an internal audit system for keeping a watch over the quantum, flow and propriety of expenditure, diversion of funds, reconciliation of income and expenditure etc. Prasar Bharati stated (June 2005) that a team had already been constituted with the consent of Chief Controller of Accounts, Ministry of Information and Broadcasting and they had started doing the internal audit of accounts of DDO's of Prasar Bharati pending establishment of an internal audit structure.

7. Format of Accounts

Significant Accounting Policies (Schedule 24)

A reference is invited to Accounting Policy No. 1 regarding preparation of its financial statements on cash basis. Policy of Prasar Bharati is not in consonance with the generally accepted accounting principles. Besides, uniform format of accounts prescribed by the Government of India, Ministry of Finance for Central Autonomous Bodies is also based on the principles of accrual system of accounting. Prasar Bharati stated (June 2005) that they were shifting to accrual system of accounting from the year 2005-06.

8. Unit records not produced

The accounts records of Doordarshan Commercial Services, New Delhi were not made available to audit. The details relating to computer hardware and software that existed with or were utilised by Prasar Bharati corporate headquarters, AIR Wing and Doordarshan wing during the year were also not made available to audit. Consequently, this aspect could not be verified in audit. Prasar Bharati stated (June 2005) that details of computer hardware/software would be provided to the audit party in their next audit.

9. Effect of audit comments on Accounts

The net impact of the comments given in preceding paragraphs is that assets as on 31.3.2003 were overstated by Rs. 55.95 crore, liabilities understated by Rs. 417.82 crore, expenditure overstated by Rs. 647.22 crore, income understated by Rs. 34.12 crore and payments understated by Rs. 21.97 lakh.

Place : New Delhi
Dated:


Director General of Audit,
Central Revenues

Audit Certificate

I have examined the Receipts and Payments Account, Income and Expenditure Account for the year ended 31 March 2003 and the Balance Sheet as on 31 March 2003 of Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India), New Delhi. I have obtained all the information and explanations that I have required, except


the accounts records of Doordarshan Commercial Services, New Delhi, as well as the details relating to computer hardware and software that existed in the Prasar Bharati Headquarters, AIR wing and Doordarshan wing or were utilised by them during the year

and subject to these clarifications furnished in notes attached to and forming part of the accounts and the appended audit report, which, *inter-alia*, contains the following major audit observations:-

- Understatement of current liabilities-Deposits, earnest money, caution money/security deposit by Rs. 13.57 crore due to inclusion of minus balance (Para 2.1.1.2);
- Understatement of current liability-recovery from salary and wages etc. by Rs. 2.63 crore due to inclusion of minus balance {Para 2.1.1.3 (i)};
- Overstatement of current liability by Rs. 68.51 lakh due to inclusion of recovery of rent/license fee for AIR/DD staff quarters {Para 2.1.1.3 (ii)};
- Overstatement of current liabilities-sundry creditors by Rs. 3.21 crore due to incorrect booking (Para 2.1.1.5);
- Understatement of grants-in-aid as well as Corpus/Capital Fund by Rs. 33.43 crore (Para 2.1.2);
- Non-maintenance of assets register (Para 2.2.1);
- Overstatement of FDRs by Rs. 37.71 crore due to inclusion of amount lying in current account (Para 2.2.3.2);
- Overstatement of assets by Rs. 23.72 crore due to difference in the closing balance of 2001-02 and the opening balance of 2002-03 {Para 2.2.3.3(i)};
- Understatement of assets by Rs. 5.48 crore due to existence of differences between monthly closing bank/cash balances and opening balance of bank/cash of the following month {Para 2.2.3.3(ii)};
- Understatement of income due to capitalisation of entire grant of Rs. 1019.28 crore {Para 3.2.1(i)};
- Non-existence of internal audit (Para 6);

I certify, as a result of my audit, that in my opinion these accounts and Balance Sheet are not properly drawn up and cannot be said to exhibit true and fair view of the state of affairs of Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India), New Delhi according to the best of information and explanations given to me and as shown by the books of the organisation.

Place : New Delhi
Dated:


Director General of Audit,
Central Revenues

PRASAR BHARATI (BROADCASTING CORPORATION OF INDIA)
BALANCE SHEET AS AT 31.03.03


CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES

	Schedule No	Rs As at 31.03.03	Rs As at 31.03.02
Corpus/Capital Fund	1		
Reserves and Surplus	2		
Earmarked/Endowment Funds	3	12581980077	7948015535
Secured Loan	4		
Unsecured Loan	5	47684272000	45394302000
Deferred Credit Liabilities	6		
Current Liabilities and Provisions	7	321245872	462136150
TOTAL		60587497949	53804453685

ASSETS

Fixed Assets	8	55162782077	50528817535
Capital Work-in progress	8		
Investments (I) Earmarked/Endowment Funds	9		
(ii) Others	10		
Current Assets, Loans and Advances	11	3498155389	2608549260
Miscellaneous Expenditure			
Deficit as per Income & Expenditure Account		1926560483	667086890
TOTAL		60587497949	53804453685

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICES	24
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25



K.S.SARMA
CEO



A.L. GANAPATHI
Member (Finance)



N. SUMATI
General Manager (B&A)

Place: New Delhi
Dated

PRASAR BHARATI (BROADCASTING CORPORATION OF INDIA)
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR 2002-03

	Schedule No	Rs As at 31.03.03	Rs As at 31.03.02
INCOME			
Income from Sales/ Services	12	5491317573	5635527340
Grants /subsidies	13	-	-
Fees/subscriptions	14	-	-
Income from Investments (income on investments from earmarked/endow. Funds transferred to Funds)	15	-	-
Income from Royalty, Publications etc	16	-	-
Interest Earned	17	2218534	3516120
Other Income	18	213787220	54526424
Increase/(decrease) in stock of Finished Goods and WIP	19	-	-
TOTAL A		5707323327	5693569884
EXPENDITURE			
Establishment Expenses	20	10837058188	10728665348
Programme related Expenses	21	1872193593	1644458816
Expenditure on Grants, subsidies etc	22	-	-
Interest	23	-	-
Depreciation		-	-
TOTAL B		12709251781	12373124164
Balance being excess of Expenditure over Income (A-B)		-7001928454	-6679554280
Less: Transferred from Corpus/Capital Fund		5742454861	6012467390
Add: Balance brought forward from previous year		-667086890	-
BALANCE BEING DEFICIT CARRIED OVER TO BALANCE SHEET		-1926560483	-667086890

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICES	24
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25


K.S.SARMA
 CEO


A.L. GANAPATHI
 Member (Finance)


N. SUMATI
 General Manager (B&A)

Place: New Delhi
 Dated

PRASAR BHARATI (BROADCASTING CORPORATION OF INDIA)
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.03

SCHEDULE 1- CORPUS/CAPITAL FUND:

Balance as at the beginning of the year (Refer Schedule 25, Note 3 of Notes to Accounts)		
Add: Grants -In-Aid received during the year from Govt. Of India, Ministry of I&B -Plan	759600000	1163324448
Add: Grants -In-Aid received during the year from Govt. Of India, Ministry of I&B-Non -Plan	9095962695	9117700000
Add: Grants-In-Aid received during the year from Ministry of H&PW and other Ministries (Refer Schedule 25, Note 4 & 13 of Notes to Accounts)	520856708	90881000
Deduct: Transferred to Capital Assets Fund	4633964542	4359438058
Balance Corups/Capital Fund	5742454861	6012467390
Adjusted against net expenditure (deficit) in the Income and Expenditure Account		
BALANCE AS AT THE YEAR END	5742454861	6012467390
	0	0

	Rs As at 31.03.03	Rs As at 31.03.02
	0	1163324448
	759600000	
	9095962695	9117700000
	520856708	90881000
	4633964542	4359438058
	5742454861	6012467390
	5742454861	6012467390
	0	0

SCHEDULE 2- RESERVES AND SURPLUS

1. Capital Reserve:

As per last account
Additions during the years

2. General Reserve:

As per last account
Addition during the year
Less: Deductions during the year

SCHEDULE 3- EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS

CAPITAL ASSETS FUNDS

a) Opening Balance of the funds	7948015535	3588577477
b) Additions to the Funds: Amounts transferred from Corpus/Capital Fund for meeting Capital Expenditures/Advances	4633964542	0
NET BALANCE AS AT THE YEAR END (a+b)	12581980077	3588577477

7948015535	3588577477
4633964542	0
12581980077	3588577477

SCHEDULE 4- SECURED LOANS AND BORROWINGS:

SCHEDULE 5- UNSECURED LOANS

1. Loan In Perpetuity

Interest thereon being taken up for waiver (Refer Schedule 25, Note 5 of Notes to Accounts)

2. Central Government

Interest thereon taken up for waiver Refer Schedule 25, Note 6 of Notes to Accounts)

3. Capital Loan from Ministry of I&B

TOTAL

Note: Amount due within one year (nil)

PRASAR BHARATI (BROADCASTING CORPORATION OF INDIA)

42580802000	42580802000
2813500000	2813500000
2289970000	
47684272000	45394302000

PRA-SAR BHARATI (BROADCASTING CORPORATION OF INDIA)
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.03

SCHEDULE 8- FIXED ASSETS

DESCRIPTION	GROSS BLOCK			Depreciation		Net Block		
	Cost as on 1st April 02	Additions/ Transfers from civil wings during the year	Deductions/ transfers/ disposal/ reclassification during the year	Cost at the year end 31.03.03	For the year	Cumulative upto to the year	As at 31st Mar' 2003	As at 31st Mar' 2002
A. Fixed Assets								
1. Land								
2. Buildings Others								
3. Plant Machinery & Equipments								
a) Studios	15928908590	1501218107		17430126697			17430126697	15928908590
b) Transmitters	25639124595	2271191469		27910316065			27910316065	25639124595
c) Others	772131703	7794368	-618837631	161088440			161088440	772131703
4. Vehicles	4265080	7209375		11474455			11474455	4265080
5. Furniture, Fixtures	15871376	7355227		23226603			23226603	15871376
6. Office Equipments	25685741	29317136		55002877			55002877	25685741
7. Other fixed assets Capital Expenditure on various schemes	8142830450	809878859	618837631	9571546940			9571546940	8142830450
Total of Current Year (A)	50528817535	4633964542	0	55162782077			55162782077	50528817535
B. CAPITAL WORK-IN-PROGRESS								
Total(B)	0						0	0
TOTAL	50528817535	4633964542	0	55162782077			55162782077	50528817535

Previous Year	46169379177	4359438058		50528817535			50528817535	
---------------	-------------	------------	--	-------------	--	--	-------------	--

Additions during the year include fixed assets acquired out of Grants from Govt Rs 4633964542
 (Refer Schedule 25, Note 7 of Notes to Accounts)

** Reclassifications

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.03

	Rs As at 31.03.03	Rs As at 31.03.02
SCHEDULE 6- DEFERRED CREDIT LIABILITIES:		
SCHEDULE 7- CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS		
A. Current Liabilities		
Advances received- against deposit work	208329173	204224596
Deposits, earnest money, caution money/security deposits	-135658207	12713649
Other current liabilities -recoveries from salary and wages etc.	215838825	213147752
Income tax/Sales tax deducted at source	685928	
Sundry Creditors-others	32050153	32050153
Total A	321245872	462136150
B Provisions		
Total B		
Total A+B	321245872	462136150

SCHEDULE 9- INVESTMENTS FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS

1. In Government Securities	-
2. Other approved securities	-
3. Other	-
Total	-

SCHEDULE 10- INVESTMENTS-OTHER

1. In government Securities	-
2. Other approved securities	-
3. Others	-
Total	-

SCHEDULE 11- CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES ETC.

A. CURRENT ASSETS:

Inventories		
Sundry Debtors		
Cash Balance in hand/Imprest	45480483	46591400
Bank Balances		
a) With Scheduled Banks		
on current accounts	551846175	476490953
on Collection accounts	281306159	58929279
on Deposit account with Canara Bank and other FDRs	473694388	77966988
with Various offices (Refer Schedule 25, Note 13 of Notes to Accounts)	875278601	1595811038
b) Remittances to/from HQ/DDOs in transit/reconciliation's	1118170554	321966298
Total(A)	3345776360	2577755956

PRASAR BHARATI (BROADCASTING CORPORATION OF INDIA)

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.03

	Rs As at 31.03.03	Rs As at 31.03.02
B. Loans/advances		
1. Loans/advances		
Staff	2590698	60039
Others-departmental	148740463	29597469
Suspense account	1047868	1135796
2. Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for value to be received		
On capital account	-	-
Prepayment	-	-
Others	-	-
3. Interest Accrued:		
On investments from Earmarked/endowment funds	-	-
On investments others	-	-
Others	-	-
4. Claims received		
Total (B)	152379029	30793304
Total (A)+(B)	3498155389	2608549260

SCHEDULE 12- INCOME FROM SALES/SERVICES

Income from services		
Air, Commercial and DD	5491317573	5635527340
Total	5491317573	5635527340

SCHEDULE 13- GRANTS /SUBSIDIES

1) Central Government	-	
2) State Government	-	
Total	-	

SCHEDULE 14-FEES/SUBSCRIPTIONS

SCHEDULE 15-INCOME FROM INVESTMENTS

	Investments from Earmarked Funds	Investment-others
Interest on Fixed Deposits		
Total		

SCHEDULE 16-INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATIONS ETC

SCHEDULE 17 INTEREST EARNED

On Term Deposits with Scheduled Banks		
	2218534	3516120
Total	2218534	3516120

SCHEDULE 18- OTHER INCOME

Other Receipts including Fees from Towers	213787220	54526424
Total	213787220	54526424

PRASAR BHARATI (BROADCASTING CORPORATION OF INDIA)

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31.03.03

SCHEDULE 19- INCREASE (DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS & WIP

SCHEDULE 20- ESTABLISHMENT AND OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES

	Rs 31.03.03 Plan	Rs 31.03.03 Non-Plan	Rs 31.03.02 Plan	Rs 31.03.02 Non-Plan
Payment against GIA from other Ministries/Departments				17229368
Research and Training expenses	8041118	72390342	5253623	83275676
Direction and Administration expenses	67262080	455620074	62303127	883288180
Operation and Maintenance expense	172674258	2376015080	270970228	2276428030
Planning & Development expenses	27105973	167898205	16833677	149283639
Programme Services expenses	269000891	5904623081	313737239	5396326856
Professional services paid	274171696	522627522	330995487	529634038
Advertisement and Publicity	425853	22932204	734296	9077287
Other Services		2119491		
Bank Charges		83859		
Pensioning charges/ contribution		530257873		409718000
Leave Salary Contribution		6452040		
Engineering Stores Consumed		42952962		123609398
Less: Capital expenditure charged to Fixed Assets		-85596414		-150032801
TOTAL	818681869	10018376319	1000827677	9727837671

(Refer Schedule 25, Note 9 of Notes to Accounts)

SCHEDULE 21-PROGRAMME RELATED EXPENSES

	Rs 31.03.03 Plan	Rs 31.03.03 Non-Plan	Rs 31.03.02 Plan	Rs 31.03.02 Non-Plan
Royalty	183873377	195590533	4947577	178593946
Payment to UNI/PTI	1022483	144823932		113277243
Commissioning of Programme Soft Wares expenses	259019549	25412103	542330643	
Panam Satellite expenses	0	281772925	330604554	
Sport Events Expenses	774674994	6003697		474704853
Total	1218590403	653603190	877882774	766576042

SCHEDULE 22- EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC

SCHEDULE 23- INTEREST

Interest on Loan- Central Government
Interest on Loan in Perpetuity

Total interest

0	0

(Refer Schedule 25, Note 5 & 6 of Notes to Accounts)

PRASAR BHARATI (BROADCASTING CORPORATION OF INDIA)
SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31.03.03

SCHEDULE 24- SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. Method of accounting

It is the policy of the corporation to prepare its financial statements on the cash receipts and disbursements basis. On this basis, revenue and the related assets are recognized when received rather than when earned, and expenses are recognized when paid rather than when the obligations are incurred.

2. Inventory Valuation

Stores and Spares (including machinery spares) are valued at cost

3. Fixed Assets

Fixed assets are stated at transfer amount in respect of assets transferred to Prasar Bharti and the corresponding credit is to "Loan In Perpetuity"

In respect of capital expenditure incurred on different schemes undertaken by AIR and DD all related & associated expenses are capitalized

Transfer of Assets by the Central Government are subject to actual valuation and verifications

4. Method of depreciation

No Depreciation has been provided

5. Foreign Currency Transactions

Transaction in foreign currencies are accounted for at the prevailing exchange rates at the date of transactions

PRASAR BHARATI (BROADCASTING CORPORATION OF INDIA)
SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31.03.03

SCHEDULE 25- NOTES ON ACCOUNTS & CONTINGENT LIABILITIES
NOTES ON ACCOUNTS

Accounts are Provisional subject to audit by CAG

1. Prasar Bharati Broadcasting Corporation of India is established as general public utility institution and fall under the category of "Not-for-Profit Organization". Accordingly, based on Generally accepted accounting practices, and Section 145 of the Income Tax Act, it can follow either cash or mercantile systems of accounting.

Considering the organization structure and prevalent past practices and the simplicity aspects, cash basis of accounting is adopted. Under this system revenue or grants or donations etc. are recognized when cash is collected. Similarly, expenditure on acquisition and maintenance of assets used in rendering of services as well as employees remuneration and other items are recorded when the related payments take place. The Income and Expenditure account and the Balance Sheet therefore, is based on the Cash Receipt and Payments.

Referring the issue of applicability of the Accounting Standards in preparing the financial statements the following points has been considered:

- Prasar Bharati Broadcasting Corporation is not incorporated under Section 25 of the Companies Act.
- The Accounting standards as issued by ICAI are mandatory on members of the Institute in the performance of their asset functions as per the relevant announcements made by the ICAI from time to time. The asset function of the Prasar Bharati Broadcasting Corporation is vested with CAG of India.

Accordingly, the Accounting Policy 1 meets the disclosure requirement as far as method of preparation of financial statements are concerned.


2. In view to the fact that Central Government Grants are unspecified received for the purpose of maintaining, operating and creating the infrastructure of Prasar Bharati as Public Broadcasters, the 'Capital Approach' has been taken by crediting them directly to Corpus/Capital Fund, treating in the nature of promoters' contribution.


-
-

PRASAR BHARATI (BROADCASTING CORPORATION OF INDIA)
SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31.03.03

SCHEDULE 25- NOTES ON ACCOUNTS & CONTINGENT LIABILITIES
NOTES ON ACCOUNTS

3. 'Loan in Perpetuity' granted by Government attracts interest @ 7%, the matter is being taken up with the Government for waiver of interest condition.
4. Interest on Loan from Government is @ 14.5%, as per the terms & conditions of the loan. However, a decision is pending by the Govt on the request of the Corporation to make the loan interest free.
5. The amount of Fixed Assets transferred at book value to Prasar Bharti by the Central Government has been considered based on Chief Controller of Accounts' letter No CCA/I&B/2002 dated 3.09.02 and is also subject of physical verification and valuation.
6. Taxation
Prasar Bharati not liable to any Income Tax for the year and hence not provided for.
7. Pensionary charges are in respect of contribution made to employees pensionary benefits
As notification of transfer of employees to the Entity has not been issued as yet, no other payments have been made on such account except pensionary charges.
8. Inter Office Transactions Accounts
The difference in these accounts generally represent remittances in transit on the close of financial year, accordingly they are shown as such in the accounts.
9. Deposit Works
Amounts received from parties for deposit work is after adjusting expenditures against such work.
10. CAG's fee for audited of accounts of Prasar Bharti has not been provided for as statutory Auditors have not advised.
11. The opening balances in Canara Bank, balances with other Kendra/Offices and deficit in Income & Expenditure Account has been revised due to grant received from Ministry of I & B of Rs.18.36 crores being erroneously shown during 2001-02 in Kendra account (11.21 crores), Canara Bank (7.15 crores)


K.S.SARMA
CEO


A.L.GANAPATI
Member (Finance)


N. SUMATI
General Manager (B&A)

Place: New Delhi
Dated

PRASAR BHARATI
BROADCASTING CORPORATION OF INDIA
BUDGET & ACCOUNTS WING
Receipt & Payment Account for the year 2002-03

RECEIPTS	Current Year		Current Year			Previous Year		
	2002-03	2001-02	2002-03			2001-02		
	AMOUNT		AMOUNT	Plan	Total	AMOUNT	Plan	Total
			Non-Plan			Non-Plan		
1. To Opening Balance								
(a) Head Current Bank								
(i) Main Branch	25825439	57443801						
(ii) AIR Raipur	8024220	1482835	21432881	4329434	27762315	65123073	6011821	111642138
(iii) DD Raipur	28876058	3248825	241261883	388739	245149222	230264807	182280	230487607
(iv) State Bank of India (SBI) (v) CA No. 1735 (vi) FDR with Citibank (vii) Bank of India (viii) Indian Overseas Bank	1884114 24284847 1000 1000	81874854 64478225						
(ix) Other Offices	138117208	28093832	748733191	8022548	756755739	86678894	6400470	93083364
(x) Cash	7148014	948971	163722188	12388713	176110959	149431176	26988714	167507934
(xi) Total	36232488	36483704						
2. Grants received								
(i) Govt. of India	867188288	811750000	164169884	28747425	192917309	14328228	1832377	16157218
(ii) Other Govt. and other Ministries	82877124	9081800	3708841	38843	4097284			
3. Loan from Govt. of India								
(i) To Deposits (including from other)	350357285	83848779						
(ii) Deposits for Deposits Bank								
(iii) Deposits in A/C of transfer from FR & other offices								
(iv) Other Branch A/c	1704336507	81878074						
(v) Other Branches/branches	3976080	0						
(vi) Other Branch	82704528	74410720						
(vii) Other Office (DDO)	830418884	10963884						
(viii) Other Office (DDO)	74110934	2044582						
4. To Receipts from Govt. (DDP and non-DDP) and other sources								
(i) Govt. of India								
(ii) Commercial	77328888	40918288						
(iii) Non-Commercial	1452888	828480						
(iv) DD								
(v) Commercial	468725148	488485018						
(vi) Non-Commercial	838488	863128						
5. To Other Receipts from Govt.								
(i) Govt. of India								
(ii) Commercial								
(iii) Non-Commercial								
6. To Other Receipts from other sources								
(i) Govt. of India								
(ii) Commercial								
(iii) Non-Commercial								
Total Receipts			892484827	164870225	1166095052	1146901488	981884088	187672481
Total Revenue								1148328128

